पेयजल एवं स्वच्छता विभाग
जल शक्ति मंत्रालय
भारत सरकार
DEPARTMENT OF DRINKING WATER AND SANITATION
MINISTRY OF JAL SHAKTI
GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

निर्देश पुस्तिका: सूचना शिक्षा और संचार गतिविधियाँ

जलाई 2021

निर्देश पुस्तिका: सूचना शिक्षा और संचार गतिविधियाँ

विषय–वस्तु

प्रस्तावना v

शब्द–संक्षेप vii

अध्याय 1: परिचय 1

अध्याय 2: ODF प्लस के घटक 5

अध्याय 3: ODF प्लस संचार के केंद्रित क्षेत्र 8

अध्याय 4: प्रमुख सन्देश 17

अध्याय 5: संचार दृष्टिकोण, उपकरण और क्षमता संवर्द्धन 24

अध्याय 6: प्रमुख हितधारकों की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां 39

अध्याय 7: IEC की निगरानी और मूल्यांकन 45

अध्याय 8: सूचना, शिक्षा और संचार गतिविधियों की योजना और मार्गदर्शन 49

अनुलग्नक 1: IEC योजना और परिचालन टेम्पलेट्स 51

अनुलग्नक 2: IEC के लिए रचनात्मकता 57

प्रस्तावना

भारत सरकार ने, फरवरी, 2020 में, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) (SBM (G)) के चरण–II को रु. 1,40,881 करोड़ की कुल लागत के साथ खुले में शौच मुक्त (ODF) वातावरण और ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन (SLWM) के स्थायित्त्व पर फोकस करने हेतु स्वीकृति प्रदान की थी। SBM (G) चरण–II की योजना को वित्तपोषण की विभिन्न इकाइयों तथा केन्द्र व राज्य सरकारों की विभिन्न योजनाओं के बीच सम्पर्क के नवीन अनुकूल मानक बनाने हेतु तैयार किया गया है। पेयजल और स्वच्छता विभाग (DDWS) के बजटीय आबंटनों और उसी अनुरूप निर्धारित राज्य अंश के अतिरिक्त शेष निधियों को 15वें वित्त आयोग (FC) के अनुदानों के साथ जोड़कर ग्रामीण स्थानीय निकायों, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (MGNREGS), कार्पोरेट सामाजिक दायित्व (CSR) निधियां और राजस्व अर्जन प्रतिमान, इत्यादि, विशेष रूप से SLWM के लिए, व्यवस्थित किया जाएगा।

SBM (G) चरण–II को विशिष्ट रूप से ग्रामीण भारत में व्यक्तियों और समुदायों की क्षमता बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है। इस अभियान का उद्देश्य एक जन आंदोलन खड़ा करना है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में ODF की बहाली सुनिश्चित की जा सके, लोग स्वच्छ व्यवहार की आदत बनाए रखें और सभी ग्रामों में ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था उपलब्ध हो।

इस पुस्तिका को ग्रामीण स्थानीय निकायों की सहायता करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है ताकि वे ODF प्लस के विभिन्न नवीन कार्यों को अपनी सुविधाओं के अनुसार कारगर और प्रभावी ढंग से संपन्न कर सकें। यह पुस्तिका उक्त कार्यों के संबंध में उपयोग में आने वाली विभिन्न प्रौद्योगिकियों, अनुमानित लागत, संचालन एवं रख–रखाव (O&M) व्यवस्थाओं, इत्यादि के संदर्भ में विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराती है। यह पुस्तिका ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट के प्रभावशाली प्रबंधन का लक्ष्य हासिल करने के लिए व्यापक मार्गदर्शन देने में समर्थ होगी।

यह आशा की जाती है कि स्वच्छ भारत मिशन चरण–II के सभी कर्मयोगी कार्यकर्त्तागण इस पुस्तिका को अपने–अपने ग्रामों में ODF प्लस उद्देश्य हासिल करने हेतु एक उपयोगी एवं श्रेष्ठ मार्गदर्शक–पुस्तिका के रूप में पाएंगे।

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

जून, 2021

शब्द–संक्षेप

AIP	वार्षिक क्रियान्वयन योजना
ANM	सहायक नर्स मिडवाइफरी
ASHA	मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्यकर्ता
AV	श्रव्य दृश्य
AWW	आंगनवाड़ी कार्यकर्ता
BCC	व्यवहार परिवर्तन संचार
BWM	बायोडिग्रेडेबल (जैविक अपघटनीय) अपशिष्ट प्रबंधन
CAS	स्वच्छता के लिए सामुदायिक दृष्टिकोण
CBG	कम्प्रेस्ड बायोगैस (संपीड़ित जैव–गैस)
CSC	सामान्य सुविधा केंद्र
CSR	कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व
CPCB	केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
DDWS	पेयजल एवं स्वच्छता विभाग
DTMU	जिला प्रबंधन प्रशिक्षण इकाई
DWSC	जिला जल एवं स्वच्छता समिति
DWSM	जिला जल एवं स्वच्छता मिशन
FFC	15वां वित्त आयोग
FLW	अग्रिम पंक्ति स्वास्थ्य कार्यकर्ता
FSM	मलीय कीचड़ / कचरा प्रबंधन
GIF	ग्राफिक्स बदलाव प्रारूप
Gobar-Dhan	गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो–एग्रो रिसोर्सेज धन योजना
GWM	गंदला जल प्रबंधन
HR	मानवीय संसाधन
IEC	सूचना, शिक्षा एवं संचार
IMIS	एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली
IPC	पारस्परिक संचार
IVR	इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पांस
IVRS	इंटरएक्टिव वॉयस रिकॉर्डिंग सिस्टम
KM	ज्ञान प्रबंधन
LPG	द्रवित पेट्रोलियम गैस (रसोई गैस)

MGNREGS	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
MMT	मिलियन मीट्रिक टन
MWM	मासिक धर्म अपशिष्ट प्रबंधन
NCC	राष्ट्रीय कैडेट कोर
NGO	गैर सरकारी संगठन
NYK	नेहरू युवा केंद्र
ODF	खुले में शौच मुक्त
O&M	संचालन और प्रबंधन
OTT	ओवर–द–टॉप
PRI	पंचायती राज संस्थाएं
PSA	लोक सेवा घोषणा
PWM	प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन
SBD	स्वच्छ भारत दिवस
SBM(G)	स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)
SHG	स्वयं सहायता समूह
SHS	स्वच्छता ही सेवा
SLWM	ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन
SMC	स्कूल प्रबंधन समिति
SS	स्वच्छ शक्ति
SSS	स्वच्छ सुन्दर शौचालय
SSSS	स्वच्छ सुन्दर सामुदायिक शौचालय
STMU	राज्य प्रबंधन प्रशिक्षण इकाई
SUP	एकल–उपयोग वाले प्लास्टिक
ToT	प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण
VHND	ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस
VWSC	ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति
WASH	पानी, स्वच्छता और साफ–सफाई
WCD	महिला बाल विकास

अध्याय 1

परिचय

पृष्ठभूमि: ODF से ODF प्लस की ओर

भारत का स्वच्छ भारत मिशन (SBM) को दुनिया में सबसे बड़े व्यवहार परिवर्तन कार्यक्रम के रूप में मान्य है। स्वच्छता प्राप्त करने के लिए एक प्रभावी और सुविज्ञ सामुदायिक वचनबद्धता के लिए एक सक्षम वातावरण को बढ़ावा देने के वास्ते कई स्तरों पर नवीन रणनीतियों पर कार्य किया गया है।

SBM के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रमुख रणनीतियों में से एक है – सहभागिता तथा सामुदायिक नेतृत्व वाले दृष्टिकोण के माध्यम से शौचालय निर्माण और उसके नियमित उपयोग के प्रति व्यवहार में बदलाव लाना। स्वच्छता के लिए सामुदायिक नेतृत्व वाले दृष्टिकोण (CAS) के लिए पारस्परिक संचार (IPC), सामुदायिक संघटन, जागरूकता पैदा करने और सामूहिक व्यवहार परिवर्तन को सक्रीय करने के साथ-साथ सुरक्षित स्वच्छता सुविधाओं के लिए मांग के सृजन पर ध्यान केंद्रित किया गया। इस कार्य का दीर्घकालिक उद्देश्य खुले में शौच करने के सामाजिक मानदंडों को बदलना था।

SBM के लिए सूचना, शिक्षा और संचार (IEC) की योजना और क्रियान्वयन को प्राथमिकता देने के लिए, राज्यों को स्थानीय संस्कृति, अभ्यास और संवेदनाओं को ध्यान में रखते हुए IEC रणनीतियों की योजना, डिजाइन और क्रियान्वयन के लिए लचीलापन प्रदान किया गया था। जमीनी स्तर पर IEC को शुरू करने के लिए स्वच्छता अभिप्रेरकों की भागीदारी, क्षमता संवर्द्धन और उन्हें बढ़ावा देने के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए। सामुदायिक नेतृत्व वाले दृष्टिकोण और IPC में कुशल 'जमीनी सैनिकों' या 'स्वच्छग्रहियों' की एक समर्पित सेना ने व्यवहार में बदलाव लाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया जिन्होंने ग्रामीण स्तर पर लोगों के साथ मिलकर काम किया है। SBM चरण I के उद्देश्यों को प्राप्त करने में एक महत्वपूर्ण घटक था – प्रमुख हितधारकों की विशिष्ट भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के अनुरूप प्रशिक्षण सामग्री विकसित करना, समग्र कार्यक्रम क्रियान्वयन के साथ संचार कार्यों की योजना, डिजाइन और क्रियान्वयन में उनके कौशल और दक्षताओं का सृजन करना और इन संचार कार्यों को एकीकृत करने की उनकी क्षमता को बढ़ाना।

ऐसे समय में जब देश COVID-19 महामारी के प्रकोप के प्रभाव से गंभीर रूप से जूझ रहा है, सुरक्षित सैनिटेशन और व्यक्तिगत स्वच्छता के लिए व्यवहार परिवर्तन अब बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो चुका है। शौचालयों तक अपर्याप्त पहुंच, अपर्याप्त उपचार और मल के गलत निपटान, तथा ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन (SLWM) के गलत अभ्यास के कारण कई संक्रामक रोग फैल सकते हैं।

सूचना शिक्षा और संचार गतिविधियों की निर्देश – पुस्तिका का उद्देश्य

- संसाधन एजेंसियों को मजबूत बनाना और IEC में विभिन्न स्तरों पर क्षमताओं का संवर्द्धन करना
- गुणवत्तापूर्ण संचार और क्षमता विकास उपकरणों के विकास को सुगम बनाना जो सामुदायिक नेतृत्व वाले/IEC दृष्टिकोण के प्रमुख तत्त्वों को एकीकृत करते हैं
- SBM – जी चरण II की योजना, क्रियान्वयन और निगरानी में एकीकृत किए जाने वाले IEC के प्रमुख घटकों पर प्रशासनिक और तकनीकी विशेषज्ञों दोनों प्रकार के उपयोगकर्ताओं का मार्गदर्शन करना।
- उपयोगकर्ताओं को ODF प्लस विषयों पर उपलब्ध उन क्षमता संवर्द्धन टूलकिट से लिंक करना, जो ODF प्लस पर मास्टर प्रशिक्षकों और समन्वयकों को आवश्यक जानकारी प्रदान करती हैं।
- प्रत्येक ODF प्लस घटक के सभी कार्यक्रम प्रबंधकों, क्रियान्वयनकर्ताओं करने वाले और संचारकों के लिए एक संदर्भ मार्गदर्शिका के रूप में कार्य करना।

SBM ग्रामीण चरण II

संक्षेप में SBM (G) चरण II के मार्गदर्शक सिद्धांत इस प्रकार हैं:

- ODF की निरंतरता सुनिश्चित करना
- सामुदायिक परिसंपत्तियों के वित्तपोषण और मौजूदा बुनियादी ढांचे को पुनर्जीवित करके ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन की सुविधा प्रदान करना
- ODF प्लस लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देना
- ग्रामीण भारत में दिखाई देने वाली स्वच्छता में सुधार

SBM (G) चरण II का मुख्य उद्देश्य गांवों की ODF स्थिति को जारी रखना और ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता के स्तर में सुधार करके गांवों को ODF प्लस के स्तर तक ऊपर उठाना है। इसका उद्देश्य सभी घरों में शौचालय तक पहुंच प्रदान करना, और ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाओं में इस प्रकार सुधार करना है कि कम से कम 80 प्रतिशत घर और सभी सार्वजनिक स्थान प्रभावी बायोडिग्रेडेबल कचरा, प्लास्टिक अपशिष्ट और ग्रे वाटर प्रबंधन सुविधाओं को अपनायें ताकि 80 प्रतिशत घरों और सभी सार्वजनिक स्थानों पर कम से कम कूड़ा-करकट और उनके आस-पास पानी जमा होने से **दिखाई देने वाली स्वच्छता में सुधार आये**[1]. इन उद्देश्यों का लक्ष्य है – ग्रामीण संदर्भ में ODF प्लस की प्रतिष्ठा प्राप्त करना।

ODF प्लस के मुख्य घटकों में से पहला ODF स्थिरता है, जिसमें निरंतर शौचालय का उपयोग, व्यक्तिगत घरेलू शौचालय (IHHL) और सामुदायिक स्वच्छता परिसरों (CSC) का संचालन और रखरखाव शामिल है। ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन के हिस्से के रूप में, ODF प्लस के लिए निम्नलिखित के आसपास बेहतर प्रथाओं की आवश्यकता है:

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	तरल अपशिष्ट प्रबंधन
❖ बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट प्रबंधन (BWM)	❖ गन्दला जल प्रबंधन (GWM)
❖ गोबर-धन (गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिकजैव-कृषि संसाधन-धन)	❖ मलीय कचरा/कीचड़ प्रबंधन (FSM)
❖ प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन	

[1] SBM-जी II परिचालन दिशानिर्देश

SBM (G) के चरण I के तहत हासिल किए गए लाभों को बनाए रखने के लिए समुदायों के साथ सतत जुड़ाव आवश्यक है। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि एक बड़े पैमाने वाले ODF कार्यक्रम को क्रियान्वित करने में जो भी कमी रह गई हो, उसे व्यवस्थित रूप से ठीक किया जाए। IEC इस प्रक्रिया में और इस कार्यक्रम के दूसरे चरण के समग्र क्रियान्वयन में केंद्रीय भूमिका निभाता रहेगा। प्रत्येक ODF प्लस घटक के कार्यक्रम क्रियान्वयन में तेजी लाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर, IEC योजना और क्रियान्वयन को अभियानों की एक श्रृंखला और लक्षित IEC कार्यों द्वारा सहयोग किया जाएगा। इनमें आगामी सामुदायिक और सामाजिक एकजुटता के प्रयास बड़े पैमाने पर किये जायेंगे, जैसे – स्वच्छता फिल्मों का अमृत महोत्सव (ODF प्लस पर राष्ट्रीय स्तर की फिल्म प्रतियोगिता), गोबर-धन सच्चा-धन अभियान (पशु गोबर का प्रसंस्करण), स्वच्छ स्वस्थ और समृद्ध अभियान (सार्वजनिक स्वच्छता और स्वच्छता प्रथाओं का निर्माण करने के लिए), स्वतंत्र और स्वच्छता से गरिमा (महिला PRI सदस्यों के बीच स्वच्छता सम्मेलन), गंदगी से आजादी श्रमदान अभियान (स्वच्छता में सुधार के लिए श्रम का योगदान करने वाले नागरिक), स्वच्छता संवाद (मासिक ODF प्लस वार्तालाप श्रृंखला), और स्वच्छ भारत दिवस, वैश्विक हाथ धोने का दिन और विश्व शौचालय दिवस जैसे अन्य प्रमुख दिनों पर समारोह आयोजित करना।

इस प्रकार के अभियान विविध हितधारकों को संगठित करने, कार्यक्रम पर समुदाय के स्वामित्व की भावना का निर्माण करने और सामाजिक परियोजन या जन आंदोलन सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। इस तरह के आंदोलन से ODF प्लस व्यवहार को बढ़ावा देने और ODF प्लस घटकों से जुड़े प्रचलित मिथकों और लांछनों को दूर करने में मदद मिलेगी। समुदायों और परिवारों को सकारात्मक स्वच्छता व्यवहार बनाए रखने के लिए प्रेरित किया जाएगा जैसे नियमित शौचालय का उपयोग करना, ठीक समय पर साबुन से हाथ धोना; और ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित नए व्यवहारों को अपनाना। प्रशासनिक रूप से, इसका अर्थ है विभिन्न विभागों के बीच बेहतर तालमेल तथा संचार होना और आत्मनिर्भर और व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य मॉडल को अपनाने को प्राथमिकता देना। राज्यों के पास स्थानीय संस्कृतियों, प्रथाओं और संवेदनाओं को ध्यान में रखते हुए IEC डिजाइन करने और उसके क्रियान्वयन के लिए उपयुक्त क्रियान्वयन तंत्र तय करने में लचीलापन होगा।

चूंकि ODF प्लस के कई आयाम हैं, इसलिए स्थायी हस्तक्षेप के लिए तकनीकी उपयुक्तता, डिजाइन के माध्यम से निरंतर कार्यक्षमता, समुदाय के लिए सामाजिक स्वीकार्यता, आर्थिक व्यवहार्यता, और पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा सहित कई तत्वों पर कार्य करने की आवश्यकता होगी।

स्वच्छता कार्यों की स्थिरता के प्रमुख आयामों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इसमें निम्न बिन्दु शामिल हैंः

- **भौतिकी और तकनीकी स्थिरताः** शौचालय निर्माण/रेट्रोफिटिंग और गड्ढे खाली करने के लिए तकनीकी सहायता; किफायती और उपयुक्त बाजार विकल्प; स्वच्छता के सोपान चढ़ने के अवसर
- **सामाजिक और व्यवहारिक स्थिरताः** सामाजिक और व्यवहारिक मानदंडों में परिवर्तन; समुदायों और संस्कृतियों के भीतर प्रेरकों और प्राथमिकताओं पर प्रभाव; विभिन्न समुदायों की आवश्यकताओं को पूरा करना

ODF प्लस के लिए ज्ञान प्रबंधन

ज्ञान प्रबंधन (KM) SBM की सफलता का एक अनिवार्य हिस्सा रहा है और ODF प्लस के दूसरे चरण में भी सामूहिक सामुदायिक ज्ञान तक पहुंच प्रदान करते हुए साक्ष्य निर्माण, सूचना और अनुभव साझा करना जारी रखेगा।

समग्र IEC योजना में KM को संस्थापित करने के कई लाभ हैं। इसमें शामिल हैः

- व्यवहार में बदलाव पर साक्ष्य तैयार करना और उनका दस्तावेजीकरण करना, अच्छी प्रथाओं का प्रसार और ग्रहण की गई शिक्षा को साझा करना
- व्यवस्थित ज्ञान साझा करने और क्रॉस लर्निंग की सुविधा प्रदान करना
- सफलताओं और चुनौतियों के प्रकरणों के अध्ययन का दस्तावेजीकरण करने के लिए संचालन अनुसंधान को सक्षम करना
- अच्छी प्रथाओं, समस्याओं के समाधान, नवाचारों और अन्य प्रभावी उपायों का दस्तावेजीकरण करना
- सामूहिक सामुदायिक ज्ञान के माध्यम से SBM और जल, सैनिटेशन और हाइजीन (WASH) के क्रियान्वयन में गति लाना

दोहरा ज्ञान प्रबंधन के लिए सरकारी ऑनलाइन प्लेटफॉर्मः स्वच्छ संग्रह पोर्टल (http://swachhsangraha.gov.in/), और एसबीएमजी ब्लॉग (https://sbmgramin.wordpress.com/)

IEC के लिए वित्तपोषण और SBM (G) चरण II में क्षमता संवर्द्धन

दिशानिर्देश के अनुसार, SBM-ग्रामीण चरण II निधि के कार्यक्रम संबंधी घटकों के लिए कुल फंडिंग का 5% तक IEC और क्षमता संवर्द्धन के लिए उपयोग किया जा सकता है; जिसमें से केंद्र स्तर पर 2% तक और राज्य/जिला स्तर पर 3% तक उपयोग किया जा सकता है। अन्य निधियों की तरह केंद्र और राज्य के बीच व्यय का वितरण क्रमशः 60% और 40% होगा, जिसका अनुपात उत्तर पूर्व क्षेत्र विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए क्रमशः 90% और 10% होगा। वित्त पोषण का डिजाइन राज्यों को राज्य स्तर और जिला स्तर पर धन व्यय के अनुपात को तय करने और जिला स्वच्छता योजनाओं के हिस्से के रूप में सभी जिलों में IEC के लिए बजट तय करने की अनुमति देता है।

अध्याय 2

ODF प्लस के घटक

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट प्रबंधन (BWM) में बायोडिग्रेडेबल कचरे का पृथक्करण, प्रसंस्करण और संसाधन को वापस उपयोग में लाना शामिल है। ग्रामीण संदर्भ में, अनुमानित 60–80% कचरे में जैविक अपशिष्ट (फसल अवशेष, अलग किये गए उत्पाद, रसोई अपशिष्ट, आदि) होते हैं। भारत प्रतिदिन लगभग 400 मिलियन मीट्रिक टन (MMT) घरेलू बायोडिग्रेडेबल कचरे का उत्पादन करता है। इस प्रकार, कचरे के स्रोत पर जैविक और अकार्बनिक उत्पादनों में पृथक्करण, और जैविक कचरे के स्थानीय प्रसंस्करण से कचरे की मात्रा पर एक बड़ा प्रभाव पड़ सकता है जिसे नियमित रूप से लैंडफिल और डंपिंग ग्राउंड में एकत्र किया जाएगा। जैविक खाद, बायोगैस और बिजली का उत्पादन करने के लिए बायोडिग्रेडेबल कचरे का उचित उपयोग करने से पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, मिट्टी में रासायनिक उर्वरकों का कम उपयोग होता है और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम होती है। यह 'अपशिष्ट से धन' बनाने के दृष्टिकोण को साकार करने में मदद करता है।

जैविक जैव कृषि संसाधनों को गैल्वनाइजिंग-धन (गोबर-धन) में मवेशियों के कचरे, बायोडिग्रेडेबल कचरे या कृषि अवशेषों का सुरक्षित प्रबंधन और उन्हें घरेलू और व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए बायोगैस में परिवर्तित करना शामिल है। इस प्रक्रिया के उप-उत्पाद, जैव-गारे को उर्वरक के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, इस प्रकार रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम हो जाती है। यह तंत्र समुदायों, स्वयं सहायता समूहों (SHG) / सहकारी समितियों और सूक्ष्म उद्यमियों इत्यादि को सक्रिय रूप से शामिल करने के अवसर प्रदान करता है। भारत हर साल 1,500 MMT से अधिक गोबर का उत्पादन करता है, जिसमें से लगभग 992 MMT की पुनः उपयोग के योग्य होने का अनुमान है और जैव मीथेनेशन उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है। देश में उपलब्ध गोबर का उचित प्रबंधन और बायोगैस में इसका रूपांतरण करने से भारत में

घरेलू ईंधन/LPG की एक बहुत बड़ी मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त सहायता होने का अनुमान है। बायोगैस संयंत्र मोटे तौर पर चार मॉडलों में मौजूद हैं:

- व्यक्तिगत परिवारों का मॉडल
- सामुदायिक मॉडल
- क्लस्टर मॉडल
- सहकारी समितियों/उद्यमियों/गौशालाओं, आदि के माध्यम से स्थापित संपीड़ित बायोगैस (CBG) मॉडल की स्थापना करना।

प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (PWM): प्लास्टिक कचरे का सुरक्षित निपटान करना एक गंभीर पर्यावरणीय समस्या है। अजैव बायोडिग्रेडेबल सामग्री होने के कारण, यह समय बीतने के साथ क्षय नहीं होती है और यहां तक कि अगर इसे लैंडफिल में फेंक दिया जाए, तो यह सामग्री हवा और पानी के क्षरण के माध्यम से पर्यावरण में वापस आ जाती है। प्लास्टिक भूजल को दूषित करता है, जल निकासी (ड्रेनेज) को बंद कर देता है और चरने वाले जानवरों में बीमारी और मौत का कारण बनता है। यह अनुमान लगाया गया है कि प्लास्टिक की वस्तुओं को लैंडफिल में सड़ने में कई सौ साल लगते हैं। हम अपने दैनिक जीवन में जिन प्लास्टिक थैलियों का उपयोग करते हैं, उन्हें अपघटित होने में लगभग 500 वर्ष लगते हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) की वर्ष 2018–19 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018–19 के दौरान देश भर में अनुमानित प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन लगभग 33,60,043 टन था। इतने अधिक अपशिष्ट उत्पादन का एक प्रमुख कारण यह है कि अधिकांश प्लास्टिक एक बार प्रयोग करने के बाद त्याग दिए जाते हैं। यह कार्बन फुटप्रिंट में भी वृद्धि करता है क्योंकि सिंगल-यूज प्लास्टिक (SUP) उत्पाद प्लास्टिक उत्पादों की मांग को अत्यधिक बढ़ा देते हैं।

मासिक धर्म अपशिष्ट प्रबंधन (MWM): राज्यों, जिलों और ग्राम पंचायतों (GPs) को स्वास्थ्य और महिला एवं बाल विकास (WCD) विभागों के विभिन्न कार्यक्रमों के तहत युवा लड़कियों और महिलाओं के बीच MWM के बारे में जागरूकता फैलाने का काम सौंपा गया है। इस प्रयास को प्रोत्साहन देने के लिए, SBM (G) चरण II के लिए IEC फंड का उपयोग मासिक धर्म स्वच्छता के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए भी किया जा सकता है और किशोर लड़कियों और महिलाओं को मासिक धर्म के कप तथा पुनः उपयोग सैनिटरी पैड जैसे उत्पादों का उपयोग करके मासिक धर्म से संबंधित अपशिष्ट को कम करने के तरीकों के बारे में जागरूक करने के लिए अभियान चलाया जाना चाहिए।[2]

---

[2] SBM-G II क्रियान्वयन के दिशानिर्देश

तरल अपशिष्ट प्रबंधन

गन्दले जल का प्रबंधन (GWM) में मूत्र या किसी भी मल से दूषित नहीं हुए घरेलू अपशिष्ट जल का उपचार और पुनः उपयोग शामिल है। गन्दले जल में अधिकांश घरेलू गतिविधियों जैसे नहाने, बर्तन धोने और कपड़े धोने के लिए उपयोग किया गया पानी शामिल होता है। काले पानी या मलीय कचरे युक्त पानी (मूत्र और मल से दूषित पानी) की तुलना में गन्दला जल या धूसर जल काफी कम हानिकारक होता है, लेकिन इसमें अभी भी संभावित खतरनाक रासायनिक और जैविक पदार्थ होते हैं। ऐसा अनुमान है कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिदिन लगभग 15,000 से 18,000 मिलियन लीटर गन्दला जल उत्पन्न होता है।[3] अगर वैज्ञानिक तरीके से इसका उपचार किया जाए तो गन्दले जल को कई गतिविधियों के लिए फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है।

मलीय कचरा प्रबंधन (FSM) इसमें घरेलू और सामुदायिक शौचालयों से काले पानी या मलीय कचरा युक्त पानी की सुरक्षित रोकथाम, प्रबंधन और निपटान शामिल है। मलीय कचरा या गाद एक सेप्टिक टैंक या सिंगल-पिट शौचालय में जमा अपशिष्ट होता है जो ज्यादातर मल और पानी का कच्चा या आंशिक रूप से अपघटित हुआ मिश्रण होता है। सेप्टिक टैंक और सिंगल पिट केवल आंशिक रूप से उत्पन्न होने वाले काले पानी या मल युक्त पानी को उपचारित करते हैं और इसलिए इसे निकालने और इसका सुरक्षित रूप से उपचार करने की आवश्यकता होती है। भरे हुए सेप्टिक टैंक से ओवरफ्लो और मलीय कचरे के अंधाधुंध या अव्यवस्थित निपटान से बीमारी फैल सकती है और पर्यावरण प्रदूषित हो सकता है। आसपास के इलाकों में इसका संभावित जोखिम पर्यावरण और जल प्रदूषण के माध्यम से सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा कर सकता है। ODF प्लस समुदायों की वृद्धि करना सिर्फ शौचालय बनाने और इसके उपयोग करने तक ही सीमित नहीं है। सतत ODF लाभ प्राप्त करने के लिए मल अपशिष्ट का सुरक्षित नियंत्रण और प्रभावी प्रबंधन आवश्यक है। मलीय कचरे के सुरक्षित और टिकाऊ प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए, जिलों को उपयुक्त प्रणालियों को विकसित करने और FSM मूल्य श्रृंखला को सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता है, जिसके परिणामस्वरूप सभी एकत्रित कचरे का उपचार और इसका पुनः उपयोग सुनिश्चित करने के लिए घरों में कचरे की उचित रोकथाम करना, इसे सुरक्षित रूप से खाली करना और इसका परिवहन करना होगा।

प्रत्येक ODF प्लस घटक बेहतर SLWM सेवाओं की मांग पैदा करने के साथ-साथ सकारात्मक SLWM रीतियों को अपनाने के मामले में घरेलू और सामुदायिक भागीदारी पर बहुत अधिक निर्भर करता है। प्रभावी SLWM रीतियों के पर्यावरणीय, स्वास्थ्य और मौद्रिक प्रभावों पर परिवारों और समुदायों के बीच जागरूकता पैदा करना मांग पैदा करने, सक्रिय सामुदायिक भागीदारी और इन मुद्दों के स्वामित्व के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त, इन तरीकों को अपनाने के प्रति परिवारों और समुदायों के लिए एक सक्षम वातावरण बनाने के वास्ते SLWM के सभी चरणों में प्रतिबद्धता प्राप्त करना और प्रमुख हितधारकों को एकसाथ लाना आवश्यक है।

---

[3] सभी डेटा टूलकिट/सभी डाटा निर्देश पुस्तिकाओं से लिए गए है

अध्याय 3

ODF प्लस संचार के केंद्रित क्षेत्र

ODF प्लस के लिए संचार उद्देश्य

SBM चरण II के कार्यक्रम लक्ष्य के अनुरूप, IEC का व्यापक उद्देश्य हितधारकों के बीच सकारात्मक व्यवहार परिवर्तन प्राप्त करना है और यह सुनिश्चित करना है कि वे ODF प्लस घटकों के तहत ODF स्थिरता और SLWM पर ध्यान देने के साथ वांछनीय कार्यों और तरीकों को अपनाएं।

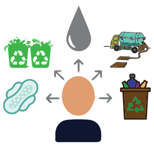

जागरूकता पैदा करें ODF प्लस के मुख्य घटकों के प्रति

सामुदायिक भागीदारी को मजबूत करें ODF प्लस की पहल में

व्यक्तियों और परिवारों को सशक्त बनाएं सही जानकारी और बेहतर समझ के आधार पर निर्णय लेने के लिए

संचार क्षमता का संवर्द्धन करें GWM, FSM, PWM, BWM, और इसकी प्रक्रियाओं पर सही और सुसंगत जानकारी हितधारकों को प्रदान करें

परिवारों और समुदायों को संगठित करें SLWM परिसंपत्तियों पर सामूहिक स्वामित्व का बोध करने के लिए

समुदायों को प्रेरित करें SLWM रीतियों और तौर तरीकों के प्रति

ODF प्लस के लिए संचार लक्ष्यों को प्राप्त करने के वास्ते हितधारक-केंद्रित दृष्टिकोण के साथ डिजाइन किया गया एक एकीकृत 360-डिग्री का संचार दृष्टिकोण आवश्यक है। प्रत्येक हितधारक से अपेक्षाएं और दूसरों के लिए सकारात्मक परिवर्तन का समर्थन और प्रभावित करने वाले हितधारकों के समूहों को एकसाथ लाने से वांछित परिवर्तन प्राप्त करने के लिए प्रत्येक समूह के साथ काम करने की रणनीति निर्धारित होगी।

महत्त्वपूर्ण साझीदार

किसी भी संचार के प्रभावी होने के लिए हितधारक समूहों और उनसे अपेक्षित व्यवहारों की पहचान करना महत्वपूर्ण है ताकि संचार को उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जा सके। व्यक्तियों, परिवारों और समुदायों द्वारा अपेक्षित प्रथाओं को अपनाने में बाधा डालने वाली घरेलू, समुदाय और संस्थागत स्तर पर चुनौतियां और बाधाएं भी प्रासंगिक हैं। ODF प्लस के लिए हिमायत और संचार रणनीतियां प्रमुख हितधारकों पर केंद्रित हैं जिन्हें ODF प्लस के विभिन्न घटकों पर सूचना, ज्ञान और कौशल के साथ जोड़कर सशक्त बनाने की आवश्यकता है। हालांकि व्यवहारिक पहल के संदर्भ में प्रत्येक हितधारक के साथ अलग से संपर्क किया जाएगा, उन सभी को शुरुआत से ही पूरी संचार प्रक्रियाओं से जुड़े रहने की आवश्यकता होगी।

- **प्राथमिक हितधारक:** जो अपने व्यवहार में बदलाव के लिए प्रत्यक्ष उत्तरदायी है। उदाहरण के लिए, पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को शौचालय के उपयोग को बनाए रखने, इसे साफ रखने और ठीक समय पर साबुन से हाथ धोने और पानी का विवेकपूर्ण उपयोग करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है
- **माध्यमिक हितधारक:** जिनके व्यवहार या कार्य प्राथमिक हितधारकों के व्यवहार को बहुत प्रभावित करते हैं। वे प्राथमिक हितधारकों के सांस्कृतिक और सामाजिक परिवेश से आते हैं। उदाहरण के लिए, स्वच्छाग्रही, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता (FLW), और पंचायत कार्यकर्ता जो कार्यक्रम को प्रोत्साहित करते हैं और व्यवहार को आसानी से अपनाने और इसे बनाए रखने के लिए एक सक्षम वातावरण तैयार करने में योगदान करते हैं।
- **तृतीयक हितधारक:** जिनके कार्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अन्य हितधारकों के व्यवहार में मदद या बाधा डालते हैं। उनके कार्य टिकाऊ व्यवहार परिवर्तन का समर्थन करने के लिए एक वातावरण बनाने वाली व्यापक सामाजिक और सांस्कृतिक प्रथाओं को दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए, निर्वाचित प्रतिनिधि, नीति निर्माता, शिक्षक, सेवा प्रदाता या सरकारी अधिकारी, धार्मिक नेता या मीडिया।

ODF प्लस के लिए हितधारक विभाजन

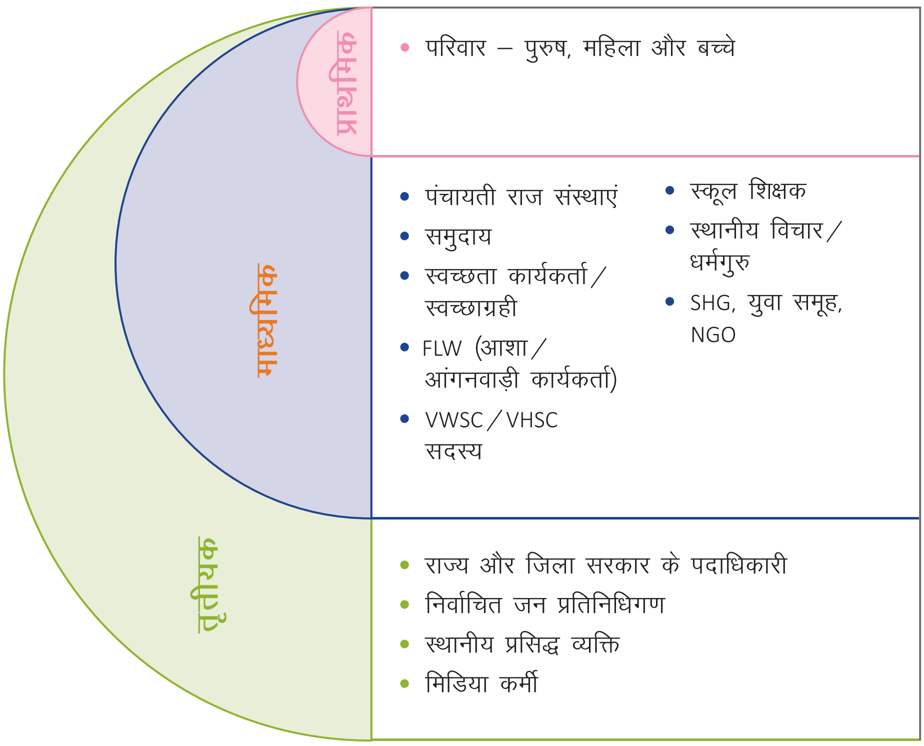

प्रमुख अपेक्षित गतिविधियाँ और बाधाएं

प्राथमिक हितधारक

- परिवार: पुरुष, महिला और बच्चे

प्रमुख अपेक्षित गतिविधियाँ	बाधाएं
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	
बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट प्रबंधन	
घर पर ठोस कचरा अलग करना (रसोई में सूखा और गीला कचरा, अन्य घरेलू कचरा) घरेलू स्तर पर बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट का भंडारण और इसकी प्रक्रिया सही ढंग से करना (बर्तन, गड्ढे या वर्मी कंपोस्टिंग) BWM से प्राप्त कम्पोस्ट का उपयोग करना, बिक्री या साझा करना बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट के गलत निपटान को रोकना (खुले स्थानों/जलाशयों में फेंकना, जलाना)	• निम्नलिखित का सीमित ज्ञान: ◆ बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट क्या है ◆ घर पर कचरे को कैसे अलग करें और उनके लाभ (स्वच्छता और आर्थिक लाभ) ◆ बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट का सही और कहां निपटान करना ◆ बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट से ऊर्जा, जैविक खाद और कम्पोस्ट को पुनर्प्राप्त करने की क्षमता • अपर्याप्त अपशिष्ट निपटान क्षेत्र और संग्रह तंत्र • यह धारणा कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्राथमिक रूप से सरकार की जिम्मेदारी है
गोबर-धन	
पशुओं के गोबर को नियमित रूप से सौपना या बेचना पशुओं के गोबर के गलत निपटान को रोकें (जलाना, किसी भी स्थान पर या खुले में फेंकना या ढेर लगाना और पानी में बहाना)	• निम्नलिखित का सीमित ज्ञान: ◆ घर में गोबर का सुरक्षित प्रबंधन ◆ गोबर को धन में बदलना (बायोगैस और जैविक खाद) ◆ मवेशियों के गोबर के अनुचित निपटान, और पर्यावरण की स्थिरता और मानव स्वास्थ्य (वेक्टर जनित रोग) के बीच संबंध ◆ मवेशियों के गोबर का निपटान या बिक्री कहां करें, और इससे संबंधित उद्यमशीलता/रोजगार पैदा करने के अवसर • पशु गोबर के मौजूदा पारंपरिक उपयोगों के बीच प्रतिस्पर्धा

प्रमुख अपेक्षित गतिविधियाँ	बाधाएं
प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन	
प्लास्टिक को रेफ्यूज (Refuse), रेड्यूस (Reduce), रीयूज (Reuse) और रीसायकल (Recycle) करें (PWM के 4R का पालन करना) सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को कम करें अथवा बंद करें प्लास्टिक के विकल्प का उपयोग करना (कपड़ा/जूट बैग, पुनः प्रयोज्य कंटेनर, जैव प्लास्टिक और सेलूलोज-आधारित अन्य विकल्प) प्लास्टिक अपशिष्ट के गलत निपटान को रोकें (खुले स्थानों या जलाशयों में जलाना या फेंकना) घरेलू स्तर पर ही प्लास्टिक अपशिष्ट को अलग करें अलग किए गए प्लास्टिक अपशिष्ट को गांव के संग्राहकों और संग्रह केंद्रों को सौंपें	• निम्नलिखित का सीमित ज्ञान: ◆ एकल उपयोग प्लास्टिक के नकारात्मक पर्यावरणीय प्रभाव ◆ गलत तरीके से प्लास्टिक अपशिष्ट निपटान के पर्यावरणीय और स्वास्थ्य प्रभाव ◆ प्लास्टिक अपशिष्ट को अलग करने और संसाधित करने के आर्थिक और पर्यावरणीय लाभ • पृथक अपशिष्ट संग्रह और निपटान तंत्र का अभाव
मासिक धर्म से संबंधित अपशिष्ट प्रबंधन	
घरेलू स्तर पर ही मासिक धर्म के अपशिष्ट को निपटान के लिए अलग करें मासिक धर्म अवशोषक का सही ढंग से निपटान – उपयोग किए गए मासिक धर्म स्वच्छता उत्पादों के गलत तरीके से निपटान (जल निकायों और शौचालयों में फेंकना, जलाना) को रोकना पर्यावरण के अनुकूल मासिक धर्म उत्पादों (बायोडिग्रेडेबल पैड, मासिक धर्म कप) का उपयोग करना	• निम्नलिखित का सीमित ज्ञान: ◆ उपयोग में लाये गये मासिक धर्म उत्पादों का सही निपटान ◆ मासिक धर्म उत्पादों का अनुचित तरीके से निपटान करने के नकारात्मक पर्यावरणीय और स्वास्थ्य प्रभाव ◆ एकल-उपयोग मासिक धर्म स्वच्छता उत्पादों के विकल्प • पृथक अपशिष्ट संग्रह और निपटान तंत्र का अभाव

(continued...)

(...continued)

प्रमुख अपेक्षित गतिविधियाँ	बाधाएं
तरल अपशिष्ट प्रबंधन	
गन्दला जल प्रबंधन	
ताजे पानी का विवेकपूर्ण उपयोग करना घर में न्यूनतम गन्दले जल को उत्पन्न करना जहां भी संभव हो घरेलू स्तर पर ही उपचार इकाइयां स्थापित करना (सोखता गड्ढे, मैजिक पिट) घरेलू स्तर की उपचार इकाइयों को बनाए रखना जहां उपलब्ध हो वहां घरेलू गन्दले जल को संप्रेषण प्रणाली में बहाना घर में विभिन्न प्रयोजनों (रसोई उद्यान, सोख्ता गड्ढ़े आदि) के लिए गन्दले जल का पुनः उपयोग करना	• निम्नलिखित का सीमित ज्ञान: ◆ गन्दला जल क्या है और इसका उपयोग कैसे करें ◆ गन्दले जल के प्रबंधन और प्रसंस्करण के तरीके और उनके लाभ ◆ GWM बुनियादी ढांचे की स्थापना करना • गन्दले जल के असुरक्षित निपटान और पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य (जल और वेक्टर जनित रोग) के बीच संबंधों के बारे में जागरूकता की कमी • पानी की कमी/उपलब्धता और गन्दले जल के प्रबंधन के बीच संबंधों के बारे में जानकारी का अभाव • जल निकासी और GWM बुनियादी ढांचे तक सीमित पहुंच
मलीय कचरा प्रबंधन	
हर बार शौचालय का प्रयोग करें (घर के सभी सदस्य) खुले में शौच ना करें दो गड्ढों वाले शौचालयों का निर्माण/शौचालय की सही आधारभूत संरचना आवश्यकता पड़ने पर एकल गड्ढे वाले शौचालयों को दो गड्ढों वाले शौचालयों में परिवर्तित करना शौचालय साफ रखें शौचालयों को क्रियाशील बनाए रखें सेप्टिक टैंक और एकल गड्ढे वाले शौचालयों की निगरानी करें और आवश्यकतानुसार टैंक खाली करना सुनिश्चित करें हर 3–5 साल में सेप्टिक टैंक, एकल गड्ढे वाले शौचालयों की गाद को हटाना (जैसी भी आवश्यकता हो) अनुमोदित एजेंसियों द्वारा केवल यांत्रिक विधि से ही मलीय कचरे को हटाना	• निम्नलिखित का सीमित ज्ञान: ◆ तकनीकी पहलू, जैसे शौचालयों और सेप्टिक टैंकों का निर्माण, रखरखाव, नियमित सफाई, और दोषपूर्ण निर्माण (दो गड्ढों वाले, एकल गड्ढे वाले, सेप्टिक टैंक), और शौचालयों तक पहुंच की कमी ◆ दो गड्ढों वाले, एकल गड्ढे वाले, सेप्टिक टैंक आदि की के संचालन तथा प्रबंधन की आवश्यकता। ◆ निर्मित शौचालयों की मरम्मत ◆ गड्ढे की गाद हटाने और खाली करने के लिए सेवाएं • गड्ढा खाली करने और सफाई करने को लेकर धारणाएँ और डर • दो गड्ढों वाले शौचालय से अपघटित गाद (सोना खाद) के पुनः उपयोग के बारे में धारणाएँ

प्रमुख अपेक्षित गतिविधियाँ	बाधाएं
सामान्य स्वच्छता व्यवहार	
खाना बनाने/परोसने/खाने से पहले तथा शौच के बाद साबुन से हाथ धोना स्वच्छता संपत्ति और सुविधाएं बनाए रखना पीने के पानी को सुरक्षित रूप से स्टोर करना और इसकी साज-संभाल करना सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा डालना बंद करें सार्वजनिक स्थानों पर थूकना बंद करें खांसने और छींकने के शिष्टाचार का पालन करें (मुंह ढकें) कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन करना (HHWS, मास्क पहनना, सामाजिक दूरी बनाए रखना)	• निम्नलिखित का सीमित ज्ञानः ◆ व्यक्तिगत स्वच्छता प्रथाओं और स्वास्थ्य परिणामों के बीच संबंध ◆ खराब स्वच्छता प्रथाओं के कारण वेक्टर– और जल जनित रोग ◆ उचित स्वच्छता प्रथाएं • व्यक्तिगत स्वच्छता की सामग्री तक सीमित पहुंच (पानी, साबुन, कार्यात्मक स्वच्छता सुविधाएं)

प्राथमिक हितधारक

• समुदाय • पंचायती राज संस्थाएं • स्वच्छता कार्यकर्ता/स्वच्छाग्रही • फ्रंटलाइन कार्यकर्ता (मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता/आंगनवाड़ी कार्यकर्ता) • ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति/ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति सदस्य • स्कूल शिक्षक • स्थानीय विचार/धर्मगुरु • स्वयं सहायता समूह, युवा समूह, गैर-सरकारी संगठन (NGO)

प्रमुख अपेक्षित गतिविधियाँ	बाधाएं
ODF प्लस के सभी घटक	
ODF प्लस के लिए IEC को ग्राम पंचायत स्तर की योजनाओं में एकीकृत करना ODF प्लस के सभी प्रमुख घटकों पर सही जानकारी प्रदान करना प्रमुख हितधारकों और स्थानीय सामुदायिक संगठनों को ODF प्लस घटकों के व्यापक प्रचार-प्रसार की जिम्मेदारी सौंपना परिवारों को बुनियादी ढांचे के तकनीकी डिजाइन पर सही जानकारी प्रदान करना, और प्रत्येक ODF प्लस घटक के लिए उपयुक्त तकनीक को बढ़ावा देना परिवारों और समुदायों को सही प्रथाओं को अपनाने और बनाए रखने के लिए प्रेरित करने वाले ODF प्लस के (सभी घटकों पर) प्रमुख संदेशों को बढ़ावा देना ODF प्लस घटकों की निगरानी की नई जिम्मेदारियों के साथ निगरानी समितियों को सक्रिय करना ODF स्थिति की निगरानी करना और ODF को बनाए रखने के लिए शौचालयों का नियमित उपयोग सुनिश्चित करना गलत अपशिष्ट प्रबंधन और पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य के बीच संबंधों पर जानकारी का व्यापक प्रचार-प्रसार करना	• GP स्तर पर ODF प्लस के लिए IEC योजना बनाने और उसे लागू करने की सीमित क्षमता • IEC के लिए निधि के उपयोग पर स्पष्टता का अभाव • ODF प्लस घटकों पर सही जानकारी पर GP स्तर पर जानकारी और IEC सामग्री की सीमित उपलब्धता • तकनीकी डिजाइन/आवश्यक बुनियादी ढांचे पर सही जानकारी प्रदान करने की सीमित उपलब्धता और क्षमता • तकनीकी और संचार विषयों (ODF प्लस, पारस्परिक संचार, सामुदायिक संघटन) पर ज्ञान को उन्नत करने के लिए प्रशिक्षण और क्षमता संवर्द्धन के थोड़े से अवसर • सभी ODF प्लस घटकों पर इन समूहों के पुनः प्रशिक्षण और सुदृढ़ीकरण पर सीमित ध्यान और प्राथमिकता के कारण ODF प्राप्त करने के बाद कमजोर हुईं निगरानी समितियां • अंतिम व्यक्ति तक पहुँचने की कोशिशें पूरी होने में अधिक समय लगना (शौचालय तक पहुंच के बिना घर, बेकार सामुदायिक स्वच्छता केंद्र, घुमंतू समुदाय जिनकी शौचालय तक कोई पहुंच नहीं है) • गलत स्वच्छता और अपशिष्ट के गलत निपटान के नकारात्मक प्रभावों और पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य के साथ उनके संबंधों की सीमित समझ

प्रमुख अपेक्षित गतिविधियाँ	बाधाएं
अपशिष्ट संग्रह की सुविधा और पृथक किए गए कचरे का आगे प्रसंस्करण सार्वजनिक स्थानों पर दिखाई देने वाली स्वच्छता (कूड़ा कम करना और जमा हुआ पानी निकालना) को सुगम बनाना स्थानीय/सामुदायिक स्तर पर ODF प्लस परिसंपत्तियां स्थापित करना घरेलू स्तर पर ODF प्लस परिसंपत्तियों (कम्पोस्ट पिट, सोक पिट, बायोगैस परिसंपत्तियों आदि) की स्थापना को सुगम बनाना। ODF प्लस परिसंपत्तियों के संचालन तथा रखरखाव की निगरानी; परिसंपत्तियों की निगरानी के लिए परिवारों और समुदाय को प्रेरित करना परिसंपत्तियों के संचालन तथा रखरखाव और सेवाएं प्रदान करने वाली अनुमोदित एजेंसियों पर समुदाय को आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराएं (उदाहरण के लिए, मलीय कचरा निकालना) SLWM उत्पाद के घरेलू और सामुदायिक उपयोग को सुगम बनाना (जैसे बायोगैस संयंत्र से मिलने वाला गारा, कम्पोस्ट, उपचारित गन्दला जल, उपचारित मलीय कचरा)	• कचरे के प्रकार, लाभ और पृथक्करण और अपशिष्ट प्रबंधन की प्रक्रियाओं पर सीमित जानकारी और समझ • बेहतर अपशिष्ट प्रबंधन के लिए मांग पैदा करने के तकनीकी और संचार पहलुओं में सीमित क्षमता, ODF प्लस परिसंपत्तियों की स्थापना की सुविधा, परिसंपत्तियों के संचालन तथा रखरखाव की निगरानी • बायोडिग्रेडेबल कचरे से ऊर्जा और जैविक खाद / कम्पोस्ट प्राप्त करने के आर्थिक लाभों की सीमित समझ – ODF प्लस के लिए इसे व्यापक बनाएं

तृतीयक हितधारक

• संस्थागत • राज्य सरकार और जिला स्तरीय पदाधिकारी • निर्वाचित जन प्रतिनिधि
• स्थानीय प्रसिद्ध व्यक्ति • मीडिया कर्मी

प्रमुख अपेक्षित गतिविधियाँ	बाधाएं
ODF प्लस के सभी घटक	
संचार और IEC पर भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के स्पष्ट प्रतिनिधित्व के द्वारा ODF प्लस कार्यक्रम का नेतृत्व करना जमीनी स्तर पर IEC का नेतृत्व करने के लिए प्रमुख हितधारकों की नियमित क्षमता संवर्द्धन सुनिश्चित करना (जिसमें IEC गतिविधियों की योजना, क्रियान्वयन और निगरानी करना भी है) IEC को लागू करने के लिए प्रमुख हितधारकों को प्रशिक्षण देना और IEC सामग्री का पर्याप्त प्रचार-प्रसार IEC गतिविधियों की नियमित समीक्षा, निगरानी और रिपोर्टिंग करना बुनियादी ढांचा/ODF प्लस परिसंपत्तियां स्थापित करने के लिए सक्षम वातावरण बनाना सभी मंचों पर ODF प्लस के घटकों से सम्बन्धित प्रमुख संदेशों का प्रचार करना	• ग्राम पंचायत स्तर पर ODF प्लस के लिए IEC की योजना बनाने और उसे लागू करने की सीमित क्षमता • IEC के लिए निधि के उपयोग पर स्पष्टता का अभाव • ग्राम पंचायत स्तर पर सीमित IEC सामग्री और ODF प्लस घटकों पर सही जानकारी की कमी • तकनीकी डिजाइन/आवश्यक बुनियादी ढांचे पर सही जानकारी प्रदान करने की सीमित उपलब्धता और क्षमता • तकनीकी और संचार बिन्दुओं पर ज्ञान को उन्नत करने के लिए प्रशिक्षण और क्षमता संवर्द्धन के कुछ ही अवसर (ODF प्लस, पारस्परिक संचार, सामुदायिक संघटन) • सभी ODF प्लस घटकों पर इन समूहों के पुनः प्रशिक्षण और सुदृढ़ीकरण पर सीमित ध्यान और प्राथमिकता के कारण ODF प्राप्त करने के बाद कमजोर हुईं निगरानी समितियां • अंतिम व्यक्ति तक पहुँचने की कोशिशें पूरी होने में अधिक समय लगना (शौचालय तक पहुंच के बिना घर, बेकार सामुदायिक स्वच्छता केंद्र, घुमंतू समुदाय जिनकी शौचालय तक कोई पहुंच नहीं है) • गलत स्वच्छता और कचरे के गलत निपटान के नकारात्मक प्रभावों और पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य के साथ उनके संबंधों की सीमित समझ

अध्याय 4

प्रमुख सन्देश

संदेश सेवा का परिचय

SBM (G) ODF से ODF प्लस तक की यात्रा शुरू करते ही, चरण I में प्राप्त किये गये लाभ को बनाए रखने और SBM चरण II के लिए एक नया जन आंदोलन बनाने के लिए SLWM व्यवहारों को प्रेरित करने के संबंध में विभिन्न मुद्दे सामने आए हैं। हाल ही में हासिल किए गए व्यवहार को अपनाने से लेकर पूरी श्रृंखला पर विचार करने के लिए और सभी के द्वारा निरंतर शौचालय के उपयोग तथा स्वच्छता और SLWM व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करके स्वच्छता के लिए नए बनाए गए मानदंडों को अपनाना जारी के लिए संचार कार्यों की आवश्यकता है (घर के सभी सदस्यों द्वारा नियमित उपयोग, यह सुनिश्चित करना कि सभी की शौचालय तक पहुंच है और कोई भी शौचालय तक पहुंच से बाहर ना हो)।

सभी हितधारकों को एकसाथ लाने के बाद प्रासंगिक और प्रभावशाली संदेशों को डिजाइन करना जो तकनीकी रूप से सटीक, सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त, जेन्डर संवेदनशील और रचनात्मक रूप से आकर्षक हों। इन व्यवहारों पर संदेशों के निर्माण के लिए यह महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक मुद्दे और प्रत्येक हितधारक के लिए व्यवहार बाधा विश्लेषण से यह लिया जाए। एक जैसी IEC-संबंधित आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं वाले छोटे श्रोता समूहों में हितधारकों का और अधिक वर्गीकरण करने से संदेशों को अनुकूलित करने और उपयुक्त संचार चैनलों की पहचान करने में सहायता मिलेगी। अब जबकि पारंपरिक जन, मध्य और सोशल मीडिया अभियानों का उद्देश्य पूरी आबादी तक पहुंचना है, हितधारकों का विभाजन संचार चैनलों/मीडिया मिश्रण पर रणनीतिक विकल्प बनाने में सहायता करता है।

ODF स्थिरता, स्वच्छता, गन्दला जल प्रबंधन, मलीय कचरा प्रबंधन, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन, बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट प्रबंधन, गोबर-धन और मासिक धर्म अपशिष्ट प्रबंधन के लिए रचनात्मक और सुसंगत संदेश मिथकों और गलत धारणाओं या सामाजिक-सांस्कृतिक धारणाओं को तोड़ सकते हैं और हितधारक समूहों के बीच स्वच्छता का विकल्प और स्वच्छता व्यवहार निर्धारित कर सकते हैं।

संदेश के तत्त्व

विशेष रूप से पिछले वर्ष की शुरुआत में वैश्विक स्तर पर कोविड-19 महामारी के फैलने के बाद से हाल के वर्षों में सूचनाओं के उपयोग के आधुनिक स्वरूप बहुत विकसित हुए हैं। सूचना प्रवाह और ज्ञान की तलाश के इस नए परिदृश्य के परिणामस्वरूप विविध सूचना मंच तक असीमित और निशुल्क पहुंच का एक अधिभार सा हो गया है। मोबाइल टेलीफोन और इंटरनेट द्वारा विभिन्न जनसंख्या समूहों के कवरेज ने वास्तविक समय में दर्शकों के साथ साझा करना और बातचीत करना संभव और आसान बना दिया है। हालाँकि, चुनौती इस तरह से संदेश बनाने की और उसे वितरित करने की है जो कि प्रतिस्पर्धी प्राथमिकताओं के रहते हुए भी दर्शकों का ध्यान ना सिर्फ आकर्षित करे बल्कि उसे बनाए भी रखे। साथ ही, यह देखा गया है कि किसी मुद्दे के बारे में गलत जानकारी की उपलब्धता तेजी से फैल सकती है और यह सटीक और कार्रवाई योग्य जानकारी तक पहुंच सुनिश्चित करने में बाधा के रूप में कार्य कर सकती है।

इसलिए, यह महत्वपूर्ण है कि ODF प्लस संदेशों में निम्नलिखित विशेषताएं डालकर प्रभावी ढंग से डिजाइन किया गया हो:

(1) **सामग्री**: मुख्य ODF प्लस/वॉश संदेश सरल, सकारात्मक और स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत किए जाएंगे जो दर्शकों के लिए सटीक, समझने योग्य और प्रासंगिक हों

(2) **प्रसंग**: संदेश जेन्डर दृष्टिकोण से संवेदनशील, सामाजिक रूप से समावेशी, पर्यावरण के अनुकूल और हितधारकों की सामाजिक-सांस्कृतिक संदर्भ, भाषा और सूचना उपभोग प्राथमिकताओं के अनुरूप होने चाहिए

(3) **संगठन**: विविध मीडिया में दिए जाने वाले संदेशों की प्रभावी प्रस्तुति और उनका ख़ाका इस प्रकार से हो कि संदेश दर्शकों के दिमाग में अंतर्निहित हो जाए

(4) **स्वीकार्यता**: डिजाइन किए गए संदेश में मानव गरिमा, लिंग और समानता के सिद्धांतों को सुनिश्चित करने का पालन जाए और बेकार की प्रथाओं को बढ़ावा नहीं दिया जाए

(5) **अपील**: लोगों को वांछित कार्य करने के लिए आगे आने और प्रेरित करने वाले संदेश देना

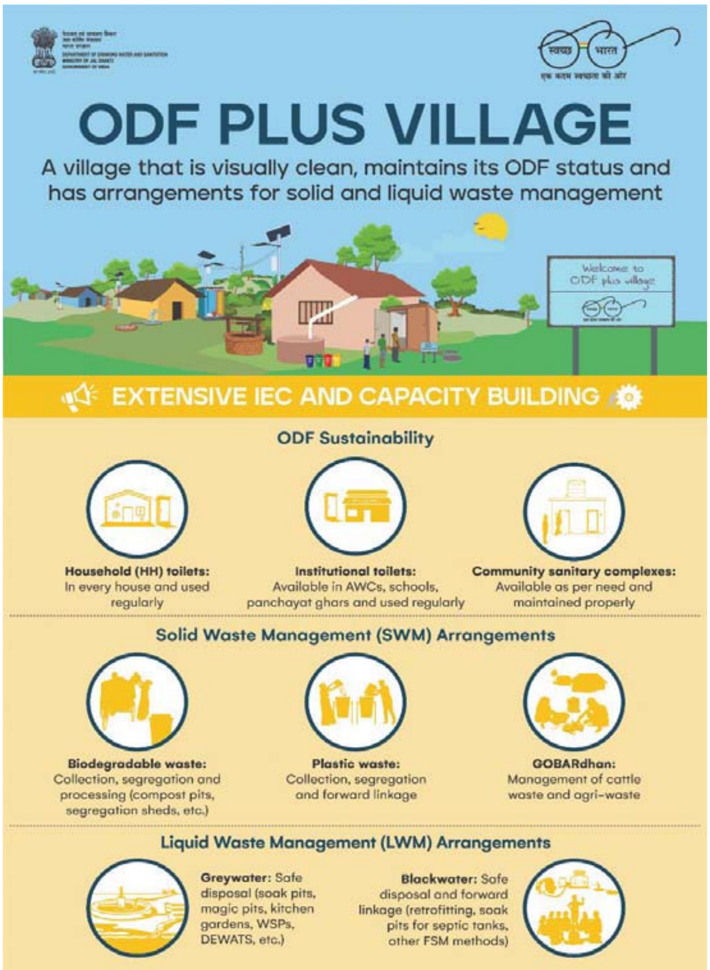

ODF प्लस घटकों के मुख्य संदेश

पिछले अध्याय में सर्वसमावेशी हितधारक और बाधा विश्लेषण के आधार पर, प्रत्येक ODF प्लस घटक के लिए मुख्य विषयों का सुझाव दिया गया है जिन पर संदेश आधारित होना चाहिए।

प्राथमिक हितधारक

बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट प्रबंधन

- स्रोत पर कचरे का पृथक्करण
- घरेलू गीले और सूखे कचरे को अलग-अलग करने का महत्व
- घरेलू कचरे में बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट के बीच का अंतर
- नॉन बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट का घरेलू स्तर पर यथासंभव पुनः उपयोग
- बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट/मिश्रण का घरेलू स्तर पर उपचार
- घरेलू स्तर पर BWM के लाभ, विशेष रूप से आर्थिक लाभ
- पुनर्चक्रण योग्य अंतिम उत्पादों का पुनः उपयोग करना (जैसे, कम्पोस्ट, बायोगैस)

मासिक धर्म अपशिष्ट प्रबंधन

- मासिक धर्म स्वच्छता उत्पादों के गलत निपटान के हानिकारक प्रभाव
- मासिक धर्म स्वच्छता उत्पाद के उपयोग और अपशिष्ट प्रबंधन पर खुलकर चर्चा (और अपनी जरूरतों को व्यक्त करने) करने का महत्व

प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन

- प्लास्टिक अपशिष्ट के हानिकारक प्रभाव और यह बताना कि इसका प्रबंधन क्यों आवश्यक है
- प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के 4R – रेफ्यूज (Refuse), रेड्यूस (Reduce), रीयूज़ (Reuse) और रीसायकल (Recycle)
- SUP के पर्यावरणीय स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव। प्लास्टिक के उपयोग, विशेष रूप से एक बार उपयोग किए जाने वाले डिस्पोजेबल प्लास्टिक, को मना करना और कम करना
- प्लास्टिक अपशिष्ट को खुले में जलाने के हानिकारक प्रभाव
- प्लास्टिक अपशिष्ट को फेंकना/फैलाना कोई उपाय नहीं है क्योंकि यह बायोडिग्रेडेबल नहीं है। जल निकायों और प्राकृतिक संसाधनों के दीर्घकालिक प्रदूषण से इसका संबंध
- घरों, व्यावसायिक स्थानों, सार्वजनिक संस्थानों आदि में उत्पन्न होने वाले प्लास्टिक अपशिष्ट को कम करने के तरीके।

गोबर-धन

- घरेलू कचरे को अलग करने और प्रबंधित करने का महत्व
- पशु अपशिष्ट से तैयार ऊर्जा और खाद/कम्पोस्ट के उपयोग का महत्व
- समुदायों के लिए उपलब्ध गोबर-धन एक उपयोगी विकल्प
- पशुओं के गोबर का उचित उपयोग करके ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने का अवसर
- मवेशियों के गोबर का भंडारण करने की दृष्टि से भूमि का उचित उपयोग

सामान्य स्वच्छता व्यवहार

- स्वच्छता विधियों की सही जानकारी
- ठीक समय पर साबुन से हाथ धोना
- पीने के पानी का सुरक्षित भंडारण और इसकी साज-संभाल
- बच्चों के मल का सुरक्षित निपटान
- मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन
- स्वच्छता आदतों के लाभ (स्वास्थ्य, आर्थिक, सामाजिक)
- स्वास्थ्य, पर्यावरण और समग्र स्वास्थ्य के साथ संबंध

गन्दला जल प्रबंधन (GWM)

- GWM का महत्व, लाभ और इसके प्रमुख घटक
- मीठे पानी का महत्व और इसका विवेकपूर्ण उपयोग, और गन्दले जल के उत्पादन के प्रबंधन के लिए मीठे पानी का उपयोग
- गन्दले जल के स्रोत
- GWM की आवश्यकता और इसके प्रभाव
- काले पानी या मलीय जल के साथ गंदले जल के मिलान को रोकने के सरल उपाय
- GWM के संबंध में क्या करें और क्या न करें जैसे नहानी ट्रैप/पी-ट्रैप
- घरेलू और सामुदायिक स्तर पर GWM के लिए प्रौद्योगिकी विकल्प; जहां भी संभव हो, साइट पर गन्दले जल का उपचार करना
- जहां साइट पर उपचार संभव नहीं है वहां बंद नालियों, छोटे बोर पाइप सिस्टम आदि जैसी GWM की वाहनप्रणाली में घरेलु गंदले जल को छोड़ना
- गन्दले जल का पुनः उपयोग करने के तरीके
- घरेलू और सामुदायिक स्तर पर GWM संसाधनों का संचालन तथा रखरखाव

मलीय कचरा प्रबंधन

- निरंतर शौचालय को उपयोग करने का व्यवहार और शौचालयों का रखरखाव और साफ करने का महत्व
- ग्रामीण क्षेत्रों में दो गड्ढों वाली शौचालय तकनीक को बढ़ावा देना
- ODF स्थिति को बनाए रखना
- सेवा प्रदाताओं के बीच स्वच्छता परिसंपत्तियों की निर्माण गुणवत्ता और संचालन तथा रखरखाव में सुधार
- गन्दले जल और मलीय पानी के मिलान के प्रतिकूल प्रभाव – प्रदूषण से जुड़े स्वास्थ्य संबंधी खतरे
- गड्ढे/टैंक को खाली करने और समय पर/आवश्यकता पड़ने पर आवधिक सफाई का महत्व
- FSM को सामान्य बनाना, और सेप्टेज प्रबंधन के बारे में मिथकों और धारणाओं को दूर करना

माध्यमिक हितधारक

SLWM

- ODF प्लस के संकेतकों पर दृष्टि रखने की जानकारी
- गलत/अपर्याप्त SLWM का मानव और पर्यावरण पर प्रभाव
- घरेलू और सामुदायिक स्तर पर SLWM परिसंपत्तियों के संचालन तथा रखरखाव का महत्व
- ODF प्लस के प्रमुख घटकों पर विशेष रूप से सही तकनीकी डिजाइन और तरीकों पर सही जानकारी
- प्रत्येक ODF प्लस घटक के आसपास क्या करें और क्या न करें
- SLWM के प्रमुख संदेशों और स्वच्छता को बढ़ावा देने का ज्ञान प्राप्त करना
- FSM, सेप्टेज प्रबंधन और गड्ढे की सफाई से संबंधित धारणाओं और मिथकों को दूर करने का महत्व
- विशेष रूप से FSM/सेप्टेज प्रबंधन के बारे में सांस्कृतिक और सामाजिक मानदंडों के बारे में बताने का महत्व

प्रभावी IEC और SLWM का क्रियान्वयन

- सुरक्षा प्रोटोकॉल
- ODF प्लस और समग्र स्वच्छता के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ग्राम पंचायत स्तर की योजनाओं में ODF प्लस के लिए IEC को एकीकृत करने का महत्व
- कार्यक्रम की जानकारी के लिए और SLWM अवसंरचना/प्रणाली की स्थापना/सुधार के लिए किससे संपर्क करना है, इसकी जानकारी
- घरेलू और सामुदायिक स्तर पर SLWM के लिए क्या निगरानी करनी है, इसकी जानकारी

तृतीयक हितधारक

IEC और क्षमता संवर्द्धन

- SLWM का महत्व, लाभ, प्रमुख घटक, घरों और समुदायों के बीच प्रसारित किए जाने वाले प्रमुख संदेश
- स्वच्छाग्रहियों के लिए प्रोत्साहन
- वर्तमान प्रथाओं और इसके प्रभाव पर जानकारी
- SBM (G) चरण II के प्रमुख कार्यक्रम घटक
- ODF प्लस के लिए IEC की योजना निर्माण, क्रियान्वयन और निगरानी का महत्व
- IEC वित्त पोषण पर जानकारी
- ODF प्लस पर FLW और अन्य प्रमुख हितधारकों के क्षमता संवर्द्धन का महत्व
- विनियामक प्रथाओं पर जानकारी
- जल, स्वास्थ्य, पोषण, और अन्य जैसे संमिलित प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में जानकारी
- स्वच्छता प्रथाओं से संबंधित मिथकों, वर्जनाओं और धारणाओं को दूर करने की जानकारी

अध्याय 5

संचार दृष्टिकोण, उपकरण और क्षमता संवर्द्धन

परिचय

यह सुनिश्चित करने के लिए कि सूचना और ज्ञान का व्यापक प्रसार हो, एक बहु चैनल दृष्टिकोण की आवश्यकता है। SBM और अन्य राष्ट्रीय प्रमुख कार्यक्रमों के पिछले चरण की सीख के आधार पर, समर्थन, संचार, संदेशों को सरकाना, सामाजिक संघटन और सामुदायिक जुड़ाव जैसे दृष्टिकोण के संयोजन की आवश्यकता है। चैनलों के माध्यम से संदेश भेजने के लिए भावनात्मक अपील और डेटा और साक्ष्य के आधार पर प्रबोधक और वैज्ञानिक संचार के संतुलन की आवश्यकता होगी।

ODF प्लस के समर्थन और संचार उद्देश्यों को प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण घटक है – समग्र कार्यक्रम क्रियान्वयन के साथ IEC की योजना, क्रियान्वयन और निगरानी में शामिल लोगों के कौशल, क्षमता और दक्षताओं का विकास करना।

संचार दृष्टिकोण

यह स्पष्ट है कि ODF प्लस के सभी मुख्य घटकों में सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए पहले के अध्यायों में प्रकाश डाला गया है, इन मुद्दों का समाधान प्रस्तुत करने वाले विभिन्न हितधारकों का मजबूत समर्थन और संचार की आवश्यकता है। सभी विभिन्न स्तरों पर हितधारकों तक पहुंचने के लिए सुझाए गए मुख्य संचार दृष्टिकोण हैं – पारस्परिक संचार (IPC), सामुदायिक संघटन, सामाजिक संघटन, मध्य और बाहरी मीडिया, संदेशों को सरकाना, मास मीडिया, समर्थन और क्षमता संवर्द्धन।

पारस्परिक संचार (IPC): IPC एक दोतरफा संवाद है जो धारणाओं तथा मतों के आदान-प्रदान और स्वच्छता प्रथाओं के सुदृढीकरण की सुविधा प्रदान करता है। स्वच्छता और स्वच्छता प्रथाओं को अपनाने के लिए रुचि और इच्छा बढ़ाने के लिए IPC एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है। परिवारों, SHG सदस्यों, महिलाओं और युवा समूहों सहित हितधारकों को विस्तृत जानकारी प्रदान करने में IPC सहायता करता है। इसके जरिये यह विचारों, संदेशों और प्रथाओं पर तत्काल प्रतिक्रिया दी जा सकती है। IPC मौजूदा सामाजिक नेटवर्क, सामुदायिक नेटवर्क और अन्य घटकों का प्रभावी उपयोग करेगा।

सामुदायिक संघटनः सामुदायिक संघटन मुख्य रूप से स्वच्छता और स्वच्छता के महत्वपूर्ण मुद्दों से निपटने के लिए समुदाय के सदस्यों के बीच एक संवाद है और उनके दैनिक जीवन को प्रभावित करने वाले निर्णयों में भाग लेने के लिए समुदाय को एक मंच प्रदान करता है। चूंकि ODF प्लस पहल करने के लिए मुख्य इकाई ग्राम पंचायत होगी, ग्राम सभा और चौपाल जैसी सामुदायिक बैठकें ODF प्लस मुद्दों पर बातचीत शुरू करने और आम लाभों के लिए आम सहमति बनाने दोनों के लिए प्रभावी होंगी।

सामाजिक संघटनः सामाजिक संघटन एक व्यापक सामाजिक कार्य पर ध्यान केंद्रित करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इसमें बड़े पैमाने पर समुदाय शामिल हों। सामाजिक संघटन यह मानता है कि व्यक्तिगत से लेकर

समुदाय से लेकर नीति और विधायी कार्रवाई तक स्थायी सामाजिक और व्यवहार परिवर्तन के लिए कई स्तरों पर सहयोग की आवश्यकता होती है, और यह कि अलग-अलग प्रयासों की तुलना में साझेदारी और समन्वय अधिक मजबूत प्रभाव उत्पन्न करते हैं। SBM के प्रमुख दृष्टिकोणों में से एक समग्र स्वच्छता संबंधित एक जन आंदोलन या जन आंदोलन बनाना है। चलो चंपारण, स्वच्छ शक्ति (SS), स्वच्छ सुंदर शौचालय (SSS), स्वच्छता ही सेवा (SHS), स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय (SSSS), स्वच्छ भारत दिवस (SBD), स्वच्छता महोत्सव, स्वच्छता पखवाड़ा जैसे SBM चरण I के व्यापक सामाजिक जुड़ाव अभियान ने शौचालय निर्माण और उपयोग के संदर्भ में व्यवहार परिवर्तन के लिए लोगों को प्रभावी ढंग से संगठित किया है।

ODF प्लस के लिए जन आंदोलन बनाने के कुछ मार्गदर्शक सिद्धांत हैं:

- **ODF प्लस के लक्ष्यों को आकांक्षी बनाएं** – आकांक्षा तथा एक साझा पहचान की भावना पैदा करने और कहना और करना के बीच के अंतर को कम करने का लक्ष्य
- **सामूहिक पहचान बनाएं** – सामूहिक पहचान की भावना का निर्माण करके सुरक्षित सैनिटेशन और स्वच्छता के लिए साझा स्थिति की धारणा बनाने का लक्ष्य
- **पुरस्कार और मान्यता** – कार्यकर्ताओं, समकक्ष नेताओं और स्थानीय चैम्पियनों को जुड़ाव के उच्च स्तर के लिए प्रेरित करने के लिए संस्थान उपयुक्त पुरस्कार और सम्मान (जिसमें साथियों के बीच मान्यता, सरकार से प्रशंसा पत्र हो सकते हैं, और जरूरी नहीं कि इसमें वित्तीय पुरस्कार हो)
- **अभिसरण** – मंत्रालयों और विभागों के बीच अभिसरण, साथ ही कार्यक्रमों के बीच एक व्यापक दृष्टिकोण सुनिश्चित करने के लिए कार्यक्रम और योजनाएं बनाना। राष्ट्रीय, राज्य, जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत पर अभिसरण
- **भागीदारी** – बहु–क्षेत्रीय और बहुआयामी-भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कई मंचों जैसे, मंत्रालयों, विभागों, सामाजिक और कल्याणकारी संगठनों और निजी उद्योग में भागीदारी

मध्य मिडिया और बाह्य मिडिया: प्रमुख व्यवहारों और स्वच्छता कार्यक्रम के बारे में जागरूकता और ज्ञान बढ़ाने के लिए मध्य मिडिया और बाह्य मिडिया का उपयोग किया जाता है। किसी समुदाय को संदेश देने लिए अक्सर स्थानीय संचार के रूप, जैसे – कठपुतली शो, जादू शो, नाटक और नुक्कड़ नाटक का उपयोग ही मध्य मीडिया है। बाह्य मिडिया संदेश देने के लिए सार्वजनिक स्थानों जैसे होर्डिंग, अधिकृत सार्वजनिक दीवारों, ट्रेन, बस या वाहन के किनारे विज्ञापन स्थान का उपयोग करता है।

संचार मीडिया: बड़ी संख्या में प्रभावशाली लोगों के साथ प्रभावी ढंग से संवाद करने के लिए जनसंचार माध्यमों का उपयोग किया जा सकता है। यह साक्षरता, लिंग, भूगोल या भाषाओं की बाधाओं को दूर करता है। यह एक सरल, स्पष्ट और केंद्रित संदेश देने के लिए आदर्श माध्यम है। यद्यपि देश में कई मीडिया का स्याह पहलू भी है, तथापि टीवी और रेडियो के कवरेज और पैठ में वृद्धि की दिशा में तेजी से प्रगति हुई है। कोविड के संदर्भ में किए गए आकलनों से पता चला है कि टीवी को सबसे विश्वसनीय माध्यमों में से एक माना जाता है। ODF प्लस के लिए इन माध्यमों से उस प्रकार की सहायता प्रदान करने की अपेक्षा की जाती है जिसे सार्वजनिक स्वास्थ्य में व्यापक रूप से प्रलेखित किया गया है। यह निम्नलिखित को पूरा कर सकता है:

- सामुदायिक संघटन और पारस्परिक संचार प्रयासों का समर्थन करना
- रेडियो और टीवी सार्वजनिक सेवा घोषणा (PSA), प्रमुख ODF प्लस संदेशों के साथ टीवी शो स्पॉट, इंटरैक्टिव गेम और चर्चा जैसी कई गतिविधियों और उत्पादों के माध्यम से विशिष्ट व्यवहार को बढ़ावा देना
- सूचना और सेवाओं के विश्वसनीय स्रोतों के रूप में सामुदायिक स्वयंसेवकों की विश्वसनीयता बढ़ाना
- महत्वपूर्ण सहाय-सहकार संबंधी जानकारी आसानी से पहुंचाएं

ओवर द टॉप (OTT) प्लेटफॉर्मः ODF प्लस के IEC संदेशों को जन-जन तक पहुंचाने के लिए रचनात्मक रूप से OTT प्लेटफॉर्म को अपनाने की आवश्यकता है।

समर्थन संस्थागत प्रणाली को मजबूत करने और स्वच्छता प्रथाओं को अपनाने में सक्षम बनाने वाला वातावरण बनाने के लिए उन्हें प्रभावित करने और उन्हें प्रेरित करने के लिए निर्णय निर्माताओं के साथ समर्थन की आवश्यकता है। ODF प्लस गतिविधियों की शुरूआत और इनके संचालन के लिए सरकार के साथ-साथ, विकास भागीदारों, निजी क्षेत्र, निर्वाचित प्रतिनिधियों, मीडिया और स्थानीय प्रभावशाली व्यक्तियों/नेताओं के साथ बातचीत आवश्यक है।

समर्थन एक सतत प्रक्रिया है जहां निर्णय निर्माताओं को प्रभावित करने और उन्हें अपने साथ लाने के लिए सूचना को एकत्र, संगठित और संप्रेषित किया जाता है जिससे मुद्दे को समर्थन और प्रतिबद्धता प्राप्त होती है। इसमें नई नीतियां विकसित करना और इसके क्रियान्वयन के लिए एक सक्षम वातावरण बनाना, विशिष्ट पहल के लिए धन और संसाधन प्रदान करना शामिल है। प्रमुख हितधारकों के साथ समर्थन करने से मुद्दे उभरकर दिखाई देते हैं और इससे सार्वजनिक धारणाओं को फिर से परिभाषित करने में सहायता मिल सकती है।

क्षमता संवर्द्धनः संचार गतिविधियों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विभिन्न स्तरों पर किए जाने वाले आवश्यकता अथवा प्रोफाइल आधारित प्रशिक्षणों पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्रमुख हितधारकों की क्षमता संवर्द्धन गतिविधियां करना।

सोशल मीडियाः सोशल मीडिया वर्चुअल नेटवर्क और समुदायों के निर्माण के माध्यम से विचारों, विचारों और सूचनाओं को साझा करने की सुविधा प्रदान करता है। इसकी संरचना इस प्रकार की है कि सोशल मीडिया इंटरनेट आधारित है और उपयोगकर्ताओं को सामग्री का त्वरित इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रदान करता है। ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, SMS/व्हाट्सएप अभियान और अन्य सोशल नेटवर्किंग टूल भी युवाओं द्वारा अभियान को बढ़ावा देने और जागरूकता पैदा करने के तरीके हैं।

मोबाइल फोन का इस्तेमालः चूंकि मोबाइल फोन की पहुंच ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक है, इसलिए इसका उपयोग लोगों को जागरूक करने के लिए किया जा सकता है।

मनोरंजन शिक्षाः शिक्षाप्रद संदेशों के प्रसार और संचार के लिए एक रचनात्मक और आकर्षक तरीका खोजने के लिए इसे मनोरंजन के साथ मिश्रित किया जा सकता है।

संदेशों को सरकानाः व्यवहार अर्थशास्त्र, राजनीतिक सिद्धांत और व्यवहार विज्ञान में संदेशों को सरकाने की एक अवधारणा है जो समूहों या व्यक्तियों के व्यवहार और निर्णय लेने को प्रभावित करने के तरीकों के रूप में सकारात्मक सुदृढीकरण और अप्रत्यक्ष सुझावों का प्रस्ताव करता है। संदेशों को सरकाने से लोगों को अपनी पसंद की स्वतंत्रता को सीमित किए बिना अपने लिए बेहतर विकल्प बनाने में सहायता मिलती है। यह, लोगों के लिए एक निश्चित निर्णय लेना आसान बनाकर परिवर्तन को पूरा करने में सहायक होता है।

संचार दृष्टिकोण परस्पर संबंधित और संवादात्मक होते हैं। जब एक प्रभावी IEC योजना और उसके क्रियान्वयन के माध्यम से इसे रणनीतिक रूप से संयुक्त किया जाता है, तो वे सकारात्मक ODF प्लस व्यवहारों को बढ़ावा देने और निरंतर अपनाने के माध्यम से एक सह–क्रियात्मक प्रभाव उत्पन्न करते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि राज्य और जिले में SBM के लिए IEC योजना को स्थानीय संदर्भों को ध्यान में रखते हुए और विभिन्न जनसंख्या-उपयुक्त संचार चैनलों का उपयोग करके तैयार संदेशों के साथ विकसित किया जाए। रचनात्मक अनुसंधान का उपयोग प्रचलित सामाजिक मानदंडों को समझने के लिए किया जा सकता है जो एक निर्दिष्ट आबादी में व्यक्तियों के बीच सकारात्मक ODF प्लस क्रियाओं को अपनाने और ज्ञान, दृष्टिकोण और व्यवहार के वर्तमान स्तर को अपनाने में बाधाएं हैं।

संचार कार्य योजनाओं के लिए संचार दृष्टिकोण का संयोजन

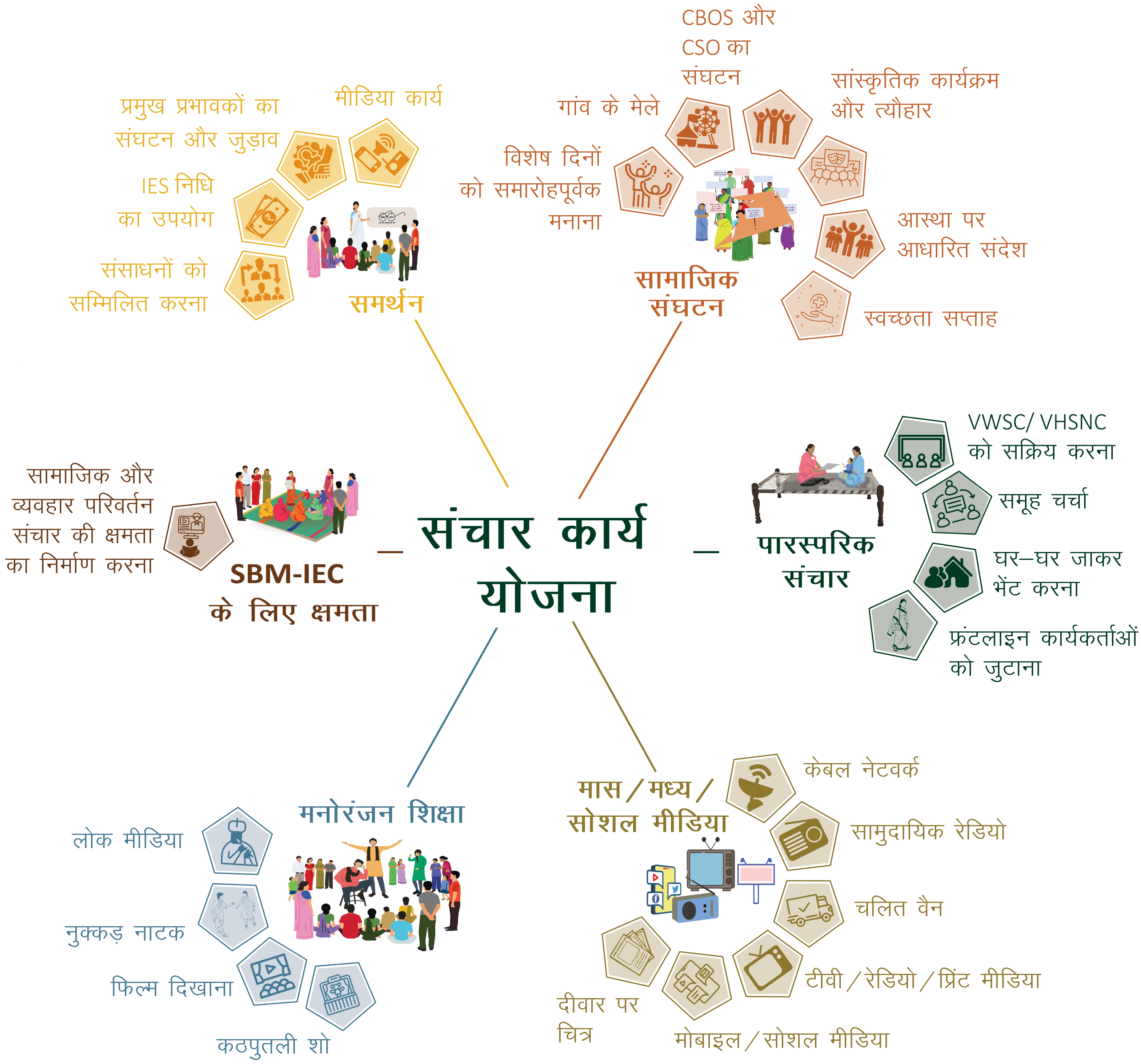

संचार योजना की क्रियान्वयन रूपरेखा*

प्राथमिक और माध्यमिक हितधारक

संचार गतिविधियाँ		संचार सामग्री
घर-घर जाकर भेंट करना और पारस्परिक संचार करना		
   	• फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं और सामुदायिक स्तर के प्रेरकों द्वारा आमने-सामने परामर्श • शिक्षा वीडियो/फ्लिपचार्ट/मोबाइल का उपयोग करके घर, स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्थानों और धार्मिक सभाओं में छोटे समूह सत्र आयोजित करना • पीयर-टू-पीयर संचार के लिए परिवारों के बीच बैठकों और चर्चाओं का आयोजन करना	• फ्लिप चार्टस/डायलॉग कार्ड्स • पत्रक • पोस्टर • पुस्तिकाएं • प्रतिज्ञाएं • शैक्षिक सहायता जैसे, छोटे समूह चर्चा के लिए शैक्षिक वीडियो • परामर्श सत्रों को चलाने के लिए FLW द्वारा मोबाइल का अभिनव उपयोग
समुदाय को तैयार करना		
 	• समुदाय के नेताओं, PRI, स्वयंसेवकों, धार्मिक नेताओं और महिला समूहों द्वारा सामुदायिक संवाद और स्थानीय बैठकें तथा कार्यक्रम आयोजित करना • विभिन्न समुदाय और VHND और आंगनवाड़ी केन्द्रों जैसे मंचों पर प्रमुख स्वच्छता मुद्दों पर चर्चा करना • ODF प्लस घटकों पर समर्पित ग्राम सभा बैठकें आयोजित करना • ODF प्लस के मुद्दों को उठाने और बैठकों के लिए महिलाओं, किशोरों, युवाओं, बच्चों को एकसाथ लाना	• IEC सामग्री • ODF घटकों पर सूचना पत्र/पत्रक • चर्चा शुरू करने के लिए ODF प्लस ऑडियो/वीडियो सामग्री • प्रदर्शन किट • प्रदर्शनी सामग्री

*ODF गतिविधियाँ को अपनाने के लिए सुझाए गए व्यवहार परिवर्तन संचार और सहयोगी गतिविधियाँ

संचार गतिविधियाँ		संचार सामग्री
 	• प्रदर्शनी और प्रदर्शन मेलों का आयोजन करना जहां प्रमुख प्रथाओं पर परामर्श, उपचार विधियों का प्रदर्शन, SBM चरण II और अन्य संबंधित प्रमुख कार्यक्रमों, खेल आदि के द्वारा सही अभ्यास संदेशों पर सूचना देने की व्यवस्था हो।	
प्रमुख प्रभावशाली व्यक्तियों का क्षमता संवर्द्धन		
   	• सभी प्रभावशाली व्यक्तियों के लिए ODF प्लस पर SBCC प्रशिक्षण • ODF प्लस से संबंधित वॉश मुद्दों और संचार कौशल पर SHG, PRI, सामुदायिक नेताओं और स्वयंसेवकों के लिए प्रशिक्षण कार्यशालाएं • सर्वोत्तम प्रथाओं को देखने के लिए सीखने के आदान-प्रदान/एक्सपोजर विज़िट • ODF प्लस मुद्दों के प्रति युवाओं को उन्मुख करने के लिए युवा क्लबों और प्रमुख गतिविधियाँ के प्रमोटर के रूप में स्वयंसेवकों के साथ संवेदीकरण कार्यशाला और उन्हें इससे संबंधित कार्यक्रम आयोजित करने के लिए प्रेरित करना • ODF प्लस से संबंधित मुद्दों पर सहकर्मी शिक्षकों को प्रशिक्षण देना • ODF प्लस, पेयजल और स्वच्छता को बढ़ावा देने पर शिक्षकों/SMC का प्रशिक्षण	• प्रशिक्षण मॉड्यूल • ई-मॉड्यूल • फिल्में और अन्य दृश्य-श्रव्य सामग्री • पत्रक • SBM चरण II कार्यक्रम, नीति और निष्पादन पर सूचना पत्र • अन्य प्रासंगिक कार्यक्रमों पर सूचना पत्र/पत्रक

संचार गतिविधियाँ		संचार सामग्री
मास मीडिया अभियान		
   	• टीवी, रेडियो, प्रिंट, ऑनलाइन मीडिया (हिंदी तथा क्षेत्रीय/स्थानीय भाषाएं) • विभिन्न माध्यमों के द्वारा चुनिंदा व्यवहारों पर संदेश देना, जिनमें शामिल हैं: ◆ फीचर फिल्मों या मुद्दे पर बनाये गये वृत्तचित्रों में अंतर्निहित संदेश ◆ टीवी और रेडियो पर लोकप्रिय कार्यक्रमों के माध्यम से अंतर्निहित संदेश • स्थानीय टीवी/केबल चैनलों के माध्यम से संदेश भेजना • सामुदायिक रेडियो स्टेशनों के माध्यम से संदेश भेजना: ◆ ODF प्लस पर चर्चाओं, प्रशंसापत्रों, कहानियों और प्रसारण PSA/विज्ञापनों की व्यवस्था करके संदेशों का प्रसार करना	• टीवी/रेडियो स्पॉट • टीवी/रेडियो कार्यक्रम • लोक सेवा घोषणाएं, वीडियो अपील, ऑडियो अपील • प्रिंट विज्ञापन, प्रेस विज्ञप्ति
सोशल मीडिया अभियान		
	• प्रमुख गतिविधियाँ के बारे में इनके माध्यम से चर्चा करना: ◆ सोशल नेटवर्क (फेसबुक, यू ट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम, आदि) ◆ चर्चा के लिए प्रासंगिक प्लेटफॉर्म उत्पन्न करने के लिए सोशल मीडिया नेटवर्क (ब्लॉग, ऑनलाइन फोरम) का उपयोग करना ◆ DDWS वेबसाइट को सम्बन्धित मंत्रालयों/प्रमुख कार्यक्रमों की वेबसाइटों से क्रॉस-लिंक करना	• सोशल मीडिया सामग्री • मानव हित की कहानियां • उत्कृष्ट कार्यों का प्रलेखन • प्रशंसापत्र • ई-बुक्स

<table>
<tr><th colspan="2">संचार गतिविधियाँ</th><th>संचार सामग्री</th></tr>
<tr><td>
</td><td>◆ सोशल मीडिया और अन्य मेनलाइन माध्यमों के बीच इंटरफेस का कार्य करना
• राष्ट्रीय और राज्य की वेबसाइटों में संचार उपकरणों और सामग्रियों को प्रसारित करना</td><td></td></tr>
<tr><th colspan="3">मोबाइल अभियान</th></tr>
<tr><td>

 </td><td>• इसे शुरू करने के लिए किसी सेवा प्रदाता के साथ साझेदारी की जा सकती है
◆ SMS अभियान
◆ बल्क SMS/संगीत/जिंगल/कॉलर ट्यून्स के माध्यम से मोबाइल संदेश प्रसारित करना
◆ अन्य नवाचार युक्त मोबाईल मैसेजिंग – महत्वपूर्ण संदेश और सर्वोत्तम कार्यों को साझा करने के लिए व्हाट्सएप समूह</td><td>• मोबाइल रिंगटोन
• IVRS
• पाठ/वीडियो संदेश
• GIF</td></tr>
<tr><th colspan="3">प्रसिद्ध व्यक्तियों को शामिल करने का अभियान</th></tr>
<tr><td>

 </td><td>• गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए प्रसिद्ध व्यक्तियों को शामिल करना; ये राष्ट्रीय, राज्य/स्थानीय स्तर पर लोकप्रिय हस्तियां हो सकती हैं
• अपने कार्य क्षेत्र में प्रमुख व्यवहारों के बारे में संदेशों को शामिल करने के लिए प्रतिष्ठित व्यक्तियों को प्रतिबद्ध करें
• मास मीडिया के लिए हस्तियों के साथ PSA/लघु फिल्में बनाना
• हस्तियों द्वारा क्षेत्र का दौरा
◆ समुदाय से मिलना
◆ सर्वोत्तम गतिविधियों पर जानकारी साझा करना</td><td>• प्रसिद्ध व्यक्तियों के लिए सूचना पैकेज
• IEC सामग्री</td></tr>
</table>

संचार गतिविधियाँ		संचार सामग्री
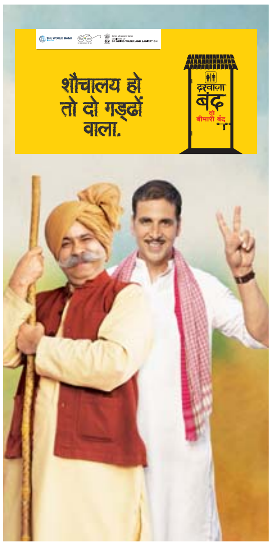	• विवरणी ◆ अधिकारियों, राजनीतिक नेतृत्व और नागरिक समाज संगठन, बच्चों और युवा राजदूतों, जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं जिन्होंने वॉश क्षेत्र / सम्मिलन कार्यक्रमों में बड़ा योगदान दिया है, को पुरस्कार देने के लिए प्रतिष्ठित व्यक्तियों को आमंत्रित करना। ◆ बच्चों वाली मनोरंजक गतिविधियों में बच्चों को शामिल करना ◆ टीवी/रेडियो वाद-विवाद/चर्चाओं में भाग लेना ◆ स्कूल स्तर पर मैराथन/क्रिकेट मैच, एवं अन्य खेल आयोजित करना • वैश्विक हाथ धुलाई दिवस, विश्व जल दिवस, स्वच्छता उत्सव/सप्ताह, विश्व शौचालय दिवस, MHM दिवस जैसे निर्दिष्ट दिनों/सप्ताह/महीनों पर कार्यक्रम आयोजित करना।	
आउटडोर/मध्य मीडिया		
	• सामरिक स्थलों पर प्रिंट की हुई IEC सामग्री – होर्डिंस/बिलबोर्ड/पोस्टर का उपयोग करना • बस पैनल/सार्वजनिक परिवहन/पेंटिंग, पोस्टरों के माध्यम से संदेश और बस स्टैंड और रेलवे स्टेशनों पर नियमित अंतराल पर संदेशों की घोषणा करना	• होर्डिंग • बिलबोर्ड • भित्ति चित्र • नाटकों और लोक प्रदर्शन के लिए कथानक • वैन के लिए IEC सामग्री

संचार गतिविधियाँ		संचार सामग्री
 	• स्ट्रीट थिएटर समूह/लोक प्रदर्शन। कार्यशालाओं के माध्यम से कथानक तैयार करने और शो का कैलेंडर तैयार करने के बाद चिन्हित गांवों में शो की व्यवस्था करने के लिए टीमें बनाना • चिन्हित गांवों में दृश्य-श्रव्य वैन/रथ सचित्र संदेशों के साथ फिल्मों/वृत्तचित्रों को दिखाने के लिए जाएंगे। ODF प्लस के लिए योजनाओं की घोषणा/अन्य महत्वपूर्ण जानकारी साझा करेंगे • सामरिक स्थलों पर भित्ति चित्र बनाये जायेंगे • प्रदर्शनी और प्रदर्शन	

तृतीयक हितधारक

संचार गतिविधियाँ		संचार सामग्री
समर्थन		
   	• प्रमुख ODF प्लस आवश्यकताओं पर प्रकाश डालते हुए SBM II के तृतीयक हितधारकों के लिए उन्मुखीकरण कार्यशालाएं • तृतीयक हितधारकों के लिए भूमिकाओं और जिम्मेदारियों पर प्रशिक्षण कार्यशालाएं • क्षेत्र/क्षमता संवर्द्धन में नवीनतम विकास के लिए संपर्क प्रदान करने के लिए परामर्श • एक एक के साथ बैठक • सर्वोत्तम प्रथा क्षेत्रों वाले इलाकों का दौरा • ODF प्लस को प्राथमिकता देने के लिए क्षेत्रीय परामर्श, सामान्य मुद्दों/या राज्यों के समूह वाले राज्यों के भीतर क्षेत्रों का अनुभव साझा करना • ODF प्लस की समझ बढ़ाने के लिए राज्य स्तरीय सम्मेलन और क्रियान्वयन प्रक्रिया में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका	• साक्ष्य आधारित समर्थन संकुलः ◆ तथ्य पत्रक ◆ वीडियो फिल्म ◆ ऑडियो स्पॉट • कार्यक्रम से संबंधित जानकारी के साथ प्रस्तुतियाँ देना ◆ SBM II की मुख्य विशेषताओं वाली पुस्तिका ◆ संबंधित राष्ट्रीय प्रमुख कार्यक्रमों की जानकारी ◆ IEC सामग्री (प्रत्येक हितधारक के लिए प्रासंगिक)

क्षमता संवर्द्धन

ODF प्लस के लिए समर्थन और संचार कार्य और IEC गतिविधियों को प्रभावी ढंग से वितरित करने के लिए, राष्ट्रीय, राज्य, जिला और ग्राम पंचायत स्तर पर विभिन्न हितधारकों की क्षमता संवर्द्धन गतिविधियों के एक बड़े परिमाण की आवश्यकता है। SBM (G) चरण II दिशानिर्देश IEC सहित क्षमता संवर्द्धन के निम्नलिखित स्तरों को दर्शाते हैं। इसके अतिरिक्त, ODF प्लस के लिए क्षमता संवर्द्धन से संबंधित अतिरिक्त पहलुओं को स्पष्ट करने के लिए परामर्श भी जारी किए जा रहे हैं।

राज्य स्तर

- राज्य एक अच्छी तरह से तैयार प्रशिक्षण योजना के अनुसार प्रशिक्षण पहल की अगुवाई करेंगे। योजना में औपचारिक व्यवस्था/साझेदारी शामिल होगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रशिक्षण योजना का क्रियान्वयन सुचारू रूप से हो। व्यवस्था में एक राज्य प्रशिक्षण प्रबंधन इकाई (STMU) का गठन या राज्य प्रशिक्षण संस्थान/NGO/विकास भागीदार के साथ साझेदारी, या मास्टर प्रशिक्षकों/संसाधन लोगों के एक समूह को मिलाना शामिल हो सकता है।
- प्रशिक्षण संसाधन मास्टर प्रशिक्षकों, क्षेत्रीय प्रशिक्षकों, पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों और विभिन्न क्षेत्र के पदाधिकारियों जैसे स्वच्छाग्रही और अन्य स्वच्छता चौंपियन, आशा, ANM, शिक्षक, आदि सहित विभिन्न हितधारकों के लिए प्रशिक्षण आवश्यकताओं के अनुसार तैयार किए जाएंगे।
- अधिमानतः हर तिमाही क्षमता संवर्द्धन योजना की समय-समय पर समीक्षा की जा सकती है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि जैसा कि आवश्यक है, ODF प्लस के सभी तत्त्व सभी हितधारकों के लिए उपयुक्त रूप से समाहित किये गये हैं
- राज्य विभिन्न स्तरों पर उपरोक्त योजनाओं के क्रियान्वयन का पर्यवेक्षण और निगरानी करेंगे

राज्यों का समर्थन करने, योजना बनाने और क्षमता संवर्द्धन पहल की निगरानी के लिए DDWS द्वारा एक प्रशिक्षण डैशबोर्ड विकसित किया गया है। डैशबोर्ड को राष्ट्रीय स्तर पर होस्ट किया जाएगा, लेकिन राज्यों और जिलों दोनों को वास्तविक समय में राज्य/जिले में प्रशिक्षण कार्यक्रमों से संबंधित डेटा दर्ज करने, अपडेट करने और समीक्षा करने में मदद करने के लिए एक्सेस विशेषाधिकार दिए जाएंगे (URL जल्द ही साझा किया जाएगा)।

जिला स्तर

- जिला स्तर पर, एक जिला प्रशिक्षण प्रबंधन इकाई (DTMU) का गठन किया जा सकता है या प्रशिक्षण एजेंसी/NGO/विकास भागीदार के साथ साझेदारी में प्रशिक्षण शुरू किया जा सकता है। जिला यह भी सुनिश्चित करेगा कि जिले की ODF प्लस प्राथमिकताओं के अनुसार उन्मुखीकरण/प्रशिक्षण/प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (ToT) आयोजित किया जाए और ODF प्लस के सभी तत्वों को समाहित किया जाए।
- PRI और अन्य क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं की क्षमता को मजबूत करने से पहले SBM (G) चरण II प्राथमिकताओं पर सभी मास्टर प्रशिक्षकों और प्रशिक्षण एजेंसियों के उन्मुखीकरण और/या ToT को प्राथमिकता देना महत्वपूर्ण होगा।
- DTMU राज्य के प्रशिक्षण कलैण्डर के अनुसार एक प्रशिक्षण कलैण्डर तैयार करेगा और यह भी सुनिश्चित करेगा कि प्रशिक्षण सत्र अनुसूची के अनुसार पूर्ण हो रहे हैं
- ODF प्लस मॉड्यूल के अनुसार नियमित प्रशिक्षण के अलावा, जिला स्तर के पदाधिकारियों को जिले के कार्यक्रम आयोजित करने की प्राथमिकता के अनुसार अतिरिक्त प्रशिक्षण भी प्रदान किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, विभिन्न ODF प्लस परिसंपत्तियों का निर्माण (या रेट्रोफिटिंग), मरम्मत और रखरखाव जैसे सोक पिट, कम्पोस्ट पिट, गन्दले जल का प्रबंधन परिसंपत्तियां, FSM इकाईयां आदि।

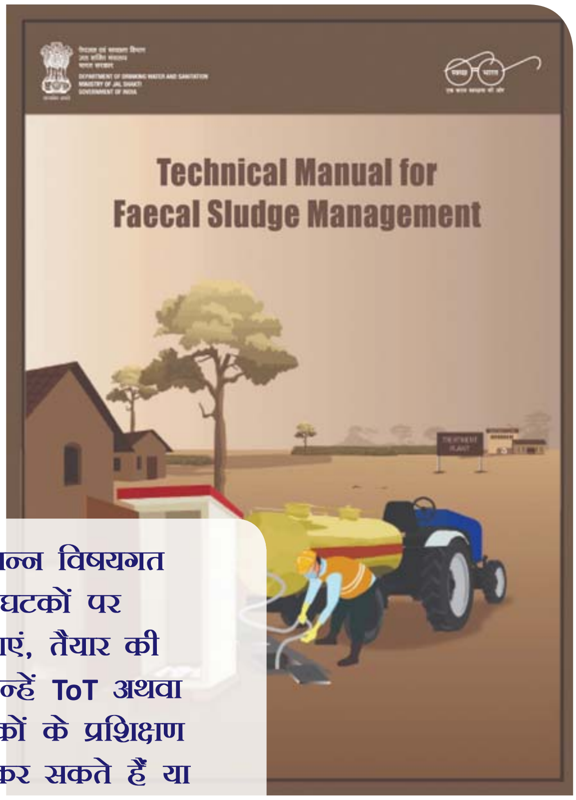

DDWS ने विभिन्न विषयगत ODF प्लस घटकों पर निर्देश-पुस्तिकाएं, तैयार की हैं। राज्य/जिले उन्हें ToT अथवा विभिन्न हितधारकों के प्रशिक्षण के लिए उपयोग कर सकते हैं या स्थानीय संदर्भ और प्राथमिकताओं के अनुसार उन्हें अनुकूलित कर सकते हैं। इन निर्देश-पुस्तिकाओं में विभिन्न तकनीकों, डिजाइन टेम्प्लेट, लागत अनुमान, और निर्णय मैट्रिक्स, आदि का विवरण शामिल है।

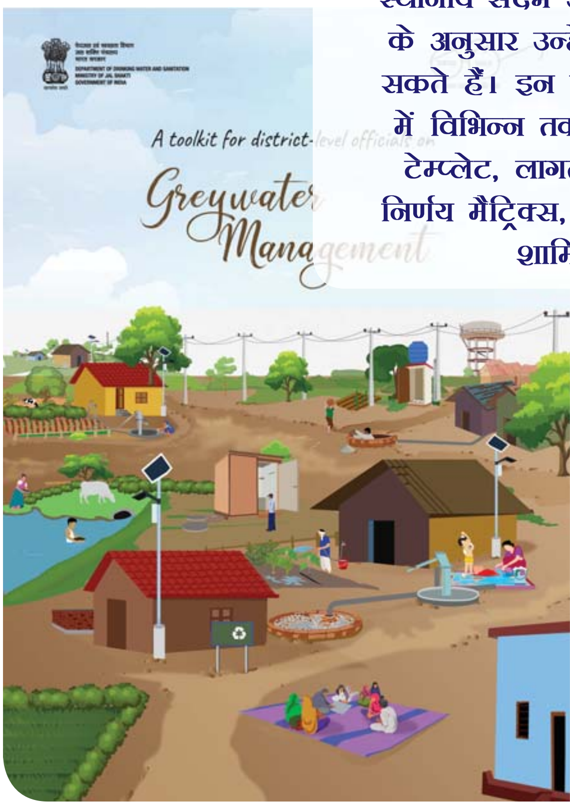

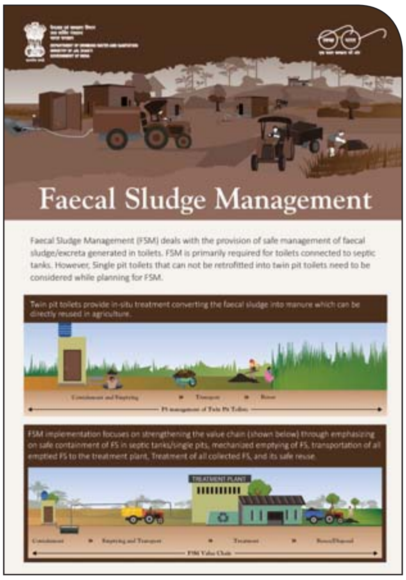

ODF प्लस के सभी घटकों के लिए प्रमुख चुनौतियों, पसंदीदा दृष्टिकोण और कार्रवाई बिंदुओं को समाहित करने के लिए विषयगत विवरणिका भी तैयार की गई हैं।

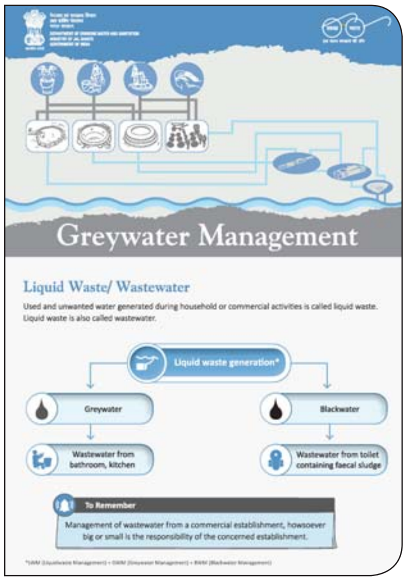

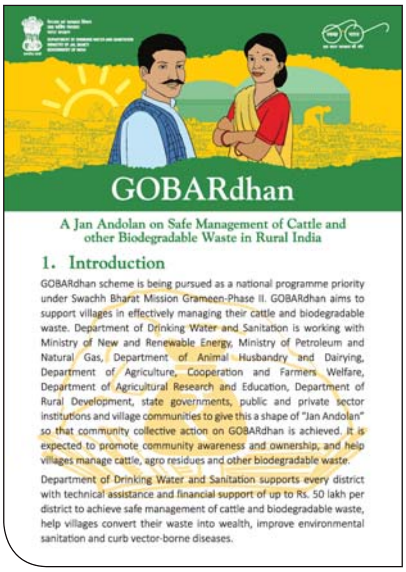

प्रखण्ड/ग्राम पंचायत स्तर

- प्रखण्ड और/या ग्राम पंचायत स्तर पर ODF प्लस के तत्त्वों पर PRI सदस्यों, क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं (जैसे स्वच्छाग्रहियों, अन्य स्वच्छता चौंपियनों जैसे आशा, ANM, शिक्षकों आदि) के लिए प्रशिक्षण/उन्मुखीकरण सत्र भी आयोजित किए जा सकते हैं। ये प्रशिक्षण सत्र राज्य/जिला प्रशिक्षण योजना के अनुसार आयोजित किये जायेंगे
- ब्लॉक और/अथवा ग्राम पंचायत स्तर पर प्रशिक्षण हितधारकों के दो सेटों – व्यवसायियों और नीति निर्माताओं, अर्थात PRI सदस्यों के लिए आयोजित किये जाने की आवश्यकता है। राज्य/जिला स्तर पर निर्मित योजना/प्रशिक्षण कलैण्डर के अनुसार व्यवसायियों को विभिन्न तकनीकी पहलुओं पर प्रशिक्षण प्रदान किया जा सकता है, जैसे ODF प्लस परिसंपत्तियों की रेट्रोफिटिंग, संचालन तथा रखरखाव, सामुदायिक संघटन और SLWM सुविधाओं की स्थापना। PRI सदस्यों के प्रशिक्षण/उन्मुखीकरण में पंद्रहवें वित्त आयोग (15th FC) की निधि, के बारे में जानकारी शामिल होगी, जो कि ODF प्लस के लिए विभिन्न गतिविधियों को समाहित करने के लिए संमिलन दृष्टिकोण का उपयोग करके, जैसा भी आवश्यक हो, व्यापार मॉडल की खोज, स्वच्छता संबंधी गतिविधियों को इस निधि के तहत समाहित किया जाएगा।
- उपरोक्त के अतिरिक्त, क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं को उनकी संबंधित भूमिकाओं के लिए लागू विशेष प्रशिक्षण भी प्रदान किया जा सकता है
- ODF प्लस के लिए व्यवहार परिवर्तन के महत्व का समर्थन करने के लिए समुदाय के प्रभावशाली व्यक्तियों (शिक्षकों, धार्मिक प्रमुखों, गांव के बुजुर्गों, आदि) के लिए एक तदनुकूल पुनश्चर्या/प्रशिक्षण योजना बनाई जा सकती है।

आमने-सामने प्रशिक्षण के अतिरिक्त, प्रखण्ड/ग्राम पंचायत के स्तर पर ज्ञान के आदान-प्रदान, क्रॉस-लर्निंग, क्षमता संवर्द्धन के लिए ज्ञान संदर्भ की सुविधा के लिए आभासी माध्यम का भी पता लगाया जा सकता है। DDWS ने जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं के लिए एक मोबाइल आधारित (इंटरैक्टिव वॉयस रिकॉर्डिंग सिस्टम [IVRS]) सीखने की अकादमी शुरू की है, जिसे SBM अकादमी कहा जाता है। टोल-फ्री नंबर डायल करने के बाद, अधिकारी सरलीकृत ODF प्लस सामग्री तक पहुंच सकते हैं। यदि कोई एक बार में पाठ्यक्रम पूरा करने में असमर्थ है, तो आसान पहुंच और याद रखने के लिए सामग्री को अध्यायों और पाठों में व्यवस्थित किया गया है। राज्य/जिलों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी फील्ड अधिकारी पाठ्यक्रम के लिए नामांकन करें और इसे पूर्ण करें। पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद पदाधिकारियों को पूर्णता का प्रमाण पत्र दिया जा सकता है।

इसी तरह, देश के सरपंचों के साथ सरपंच संवाद वार्ता भी DDWS द्वारा प्रत्येक शुक्रवार को आयोजित की जाती है। संवाद के मंच का उपयोग सरपंचों द्वारा अन्य सरपंचों के साथ अपने अनुभव साझा करने और DDWS के साथ प्रश्नों चिंताओं को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। राज्य/जिले अपने जिले/राज्य के सरपंचों को इसमें भाग लेने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। सरपंचों को अनुभव बहुत उत्साहजनक लगता है और गांव/GP में उनके अच्छे काम को मान्यता दी जाती है।

अध्याय **6**

प्रमुख हितधारकों की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां

परिचय

IEC गतिविधियों की योजना, क्रियान्वयन और निगरानी के लिए, प्रत्येक पहचाने गए हितधारक को ODF प्लस के संचार उद्देश्यों को प्राप्त करने और व्यवहार परिवर्तन को प्रभावित करने में उनकी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के बारे में पता होना चाहिए। हितधारक समूहों को एकसाथ लाने के बाद उनके प्रमुख अपेक्षित कार्यों और व्यवहार संबंधी चुनौतियों को सूचीबद्ध किया गया है और इसका अगला कदम हितधारकों के प्रत्येक समूह की भूमिकाओं की गणना करना है। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सभी ODF प्लस IEC योजनाएं राज्य/जिला स्वच्छता योजनाओं और ग्राम पंचायत/ग्राम कार्य योजनाओं के साथ एकीकृत हैं।

राज्यों की भूमिका

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र IEC और व्यवहार परिवर्तन संचार (BCC) गतिविधियों का नेतृत्व करेंगे और यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी लेंगे कि BCC गतिविधियां पूरे राज्य में जिलों और ग्राम पंचायतों की इकाइयों के रूप में फैलें।

निधि का आवंटन: राज्य स्तरीय क्रियान्वयन एजेंसी राज्य और जिलों द्वारा खर्च की जाने वाली धनराशि का अनुपात तय कर सकती है, जिसमें से 3% धनराशि IEC और क्षमता संवर्द्धन गतिविधियों के लिए निर्धारित की जाती है।

IEC रणनीति योजना: राज्यों को यह सुनिश्चित करना है कि IEC गतिविधियों के लिए योजना और बजट का अभ्यास सभी जिलों के लिए उनकी जिला स्वच्छता योजनाओं के हिस्से के रूप में किया जाता है। IEC के लिए राज्य स्तरीय योजनाओं को राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

राज्य स्तरीय गतिविधियों का संचालन: राज्यों को अपने स्वयं के IEC अभियान विकसित करने हैं, केंद्र के IEC अभियानों को आगे बढ़ाना है, और जिलों द्वारा चलाए जा रहे स्थानीय IEC अभियानों के क्रियान्वयन की निगरानी करना है।

अतिरिक्त भूमिकाएँ:

- सुनिश्चित करें कि राज्य और जिला स्तर पर सभी IEC पदों पर मानव संसाधन संरचना उचित रूप से भरी गई है
- स्वच्छता को बढ़ावा देने सहित राज्य में IEC योजनाओं को लागू करने के लिए संबंधित एजेंसियों को शामिल करना, विकास भागीदारों के साथ संपर्क करना और साझेदारी बनाना

- एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (IMIS) पर प्रगति की नियमित निगरानी और समय पर रिपोर्टिंग करना
- ज्ञान प्रबंधन की सुविधा के लिए SBM (G) और अन्य के 'स्वच्छ संग्रह' पोर्टल में सफलता की कहानियों के लिए SBM (G) ब्लॉग में योगदान करना
- सोशल मीडिया पेजों, मंत्रालयों और राज्यों के हैंडल पर प्रासंगिक ODF प्लस सूचना और ज्ञान का आदान-प्रदान करना
- जमीनी स्तर के मीडिया, क्षेत्र के विशेषज्ञों, स्वच्छता नीति शोधकर्ताओं, आदि के अधिकारियों के बीच समर्थन, क्षमता संवर्द्धन और ज्ञान साझा करने के लिए समय-समय पर कार्यशालाओं, सम्मेलनों का आयोजन करना और परामर्श की सुविधा प्रदान करना।

IEC में जिलों की भूमिका

योजनाः जिले समुदाय के सभी वर्गों तक पहुंचने के लिए समग्र रणनीति में अपनी वार्षिक क्रियान्वयन योजनाओं के पहले भाग के रूप में एक विस्तृत IEC योजना तैयार करेंगे। यह जिला और राज्य स्तर पर संसाधनों के रूप में IEC सलाहकारों का उपयोग करके किया जाना है। विकास भागीदारों/स्थानीय गैर सरकारी संगठनों के समर्थन को पारस्परिक संचार, प्रेरकों के चयन और गतिविधियों को शुरू करने के लिए सूचीबद्ध किया जा सकता है। IEC और, BCC योजनाओं को तैयार करने और लागू करने में विशेषज्ञता वाली अन्य एजेंसियों की सहायता ली जा सकती है।

वार्षिक IEC कार्य योजना को DWSC/DWSM द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। जिले के लिए IEC योजनाओं को जिला स्वच्छता योजना के संबंधित अनुभागों में भी रेखांकित किया जाना चाहिए। इस योजना के आधार पर, जिलों को IEC गतिविधियों का एक वार्षिक कैलेंडर विकसित करना है और इसे राज्य मिशन के साथ साझा करना है।

वित्त पोषणः IEC योजना को लागू करने के लिए आवश्यक धनराशि ब्लॉकों, ग्राम पंचायतों को दिशानिर्देशों के अनुसार प्रदान की जा सकती है

स्टाफिंगः जिला स्तर पर एक या अधिक IEC सलाहकारों का नामांकन सुनिश्चित करना

सोशल मीडिया का इस्तेमालः स्वच्छता को बढ़ावा देने सहित SBM (G) के तहत जिले द्वारा किए जा रहे कार्यों को प्रदर्शित करने के लिए सक्रिय फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज, ट्विटर हैंडल बनाए रखना

निगरानीः सभी ग्राम पंचायतों में IEC अभियान

IEC में ग्राम पंचायत/ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति की भूमिका

IEC संघटन में ग्राम पंचायतों की केंद्रीय भूमिका होती है। वे चरण II कार्यक्रम के सभी सॉफ्टवेयर (IEC) और हार्डवेयर घटकों की योजना और क्रियान्वयन का नेतृत्व करेंगे। ग्राम पंचायतें ग्राम स्तर पर सभी गतिविधियों और निर्माण के लिए योजना प्रक्रिया का नेतृत्व करेंगी। ग्राम पंचायत मांग शुरू करने के लिए, स्वच्छता को बढ़ावा देने, IEC और क्षमता संवर्द्धन और शौचालयों और SLWM परिसंपत्तियों के निर्माण और रखरखाव के लिए सामुदायिक संघटन के माध्यम से क्रियान्वयन का नेतृत्व करेगा। ग्राम पंचायत के पास IPC और प्रशिक्षण, निर्माण और सामान्य सेवा केंद्रों (CSCs) के प्रबंधन और ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन बुनियादी ढांचे को चलाने में सहायता करने के लिए अनुभवी और प्रतिष्ठित गैर सरकारी संगठनों/संस्थानों को नियुक्त करने का अधिकार होगा।

प्रमुख हितधारकों की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां

स्तर	प्रमुख हितधारक	भूमिका और जिम्मेदारियां
राज्य	मिशन निदेशक राज्य समन्वयक राज्य पीएमयू (IEC एवं HRD, क्षमता संवर्द्धन विशेषज्ञ) निगरानी और मूल्यांकन, SLWM विशेषज्ञ और क्षेत्र विशेषज्ञ	❖ IEC कार्यों का नेतृत्व करने की अपेक्षा, समग्र प्रोग्रामिंग के भीतर एकीकरण सुनिश्चित करना, ना कि इसे अलग-थलग गतिविधियों के रूप में करना ❖ विभागों और निदेशालयों के बीच संमिलन सुनिश्चित करना ❖ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की योजनाओं के अनुरूप IEC रणनीति और योजनाओं का विकास करना ❖ राज्य और अन्य स्तरों पर पर्याप्त योजना, क्रियान्वयन और निगरानी तंत्र सुनिश्चित करना। विकेंद्रीकरण को प्रोत्साहित करना। ❖ IEC गतिविधियों के क्रियान्वयन और इसके आगे बढ़ने की नियमित निगरानी – IMIS में दर्ज किया जाना
जिला	जिला समन्वयक, SLWM परामर्शी, जिला SBM-G के सदस्य, कार्यक्रम से जुड़े जिला स्तरीय अभियंता, आदि।	❖ IEC के क्रियान्वयन और निगरानी के लिए तंत्र सहित विस्तृत IEC योजनाओं का विकास करना ❖ ऐसी योजनाओं को जिला स्वच्छता योजनाओं और जिला कार्य योजनाओं के साथ तालमेल में विकसित करना ❖ IEC गतिविधियों के लिए योजना और बजट अभ्यास, और राज्य स्तर पर इस पर बातचीत करना ❖ ODF प्लस प्रबंधन के लिए जिला स्तरीय परिसंपत्तियों की स्थापना करना/सक्षम करना ❖ SBM पर सक्रिय सोशल मीडिया पेज बनाए रखना
ब्लॉक	प्रखण्ड समन्वयक, प्रखण्ड स्तरीय जल एवं स्वच्छता समिति के SLWM समन्वयक, प्रखण्ड स्तरीय अभियंता	❖ जिला IEC/स्वच्छता योजना और IEC की निगरानी के लिए तंत्र सहित इसके क्रियान्वयन पर समझ के बारे में जानकारी प्राप्त करना
GP	सरपंच/प्रधान, ग्राम सचिव, ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति (VWSC)	❖ जिला योजना के अनुरूप IEC योजनाओं का विकास और ग्राम कार्य योजनाओं के साथ इसका एकीकरण ❖ नियोजित IEC गतिविधियों के लिए पर्याप्त धन सुनिश्चित करना ❖ IEC गतिविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना ❖ परिवारों और समुदायों को वांछित प्रथाओं को अपनाने में सक्षम बनाने के लिए ODF प्लस के लिए स्थानीय परिसंपत्तियों की स्थापना करना। ❖ IEC संदेशों के लिए बड़े पैमाने पर एक्सपोजर सुनिश्चित करना, और IEC गतिविधियों में विभिन्न समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित करना ❖ ODF प्लस के लिए समुदाय आधारित नेटवर्क, विशेष रूप से महिलाओं और युवा समूहों की भागीदारी, जुड़ाव और क्षमता संवर्द्धन ❖ सामुदायिक और सामाजिक जुड़ाव के लिए सार्वजनिक मंचों (ग्राम सभाओं, पंचायत बैठकों आदि) का बेहतर उपयोग

(Continued)

(Continued)

स्तर	प्रमुख हितधारक	भूमिका और जिम्मेदारियां
अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता	स्वच्छाग्रही और अन्य FLW	❖ व्यक्तियों और परिवारों के साथ प्रभावी ढंग से संवाद करने के लिए संचार कौशल का निर्माण करना ❖ ODF प्लस तंत्र और प्रबंधन के महत्व की समझ में सुधार करना ❖ सही जानकारी प्रदान करने के लिए ODF प्लस घटकों पर ज्ञान और कौशल का निर्माण करना
निजी प्रदाता	सेवा प्रदाता	❖ ODF प्लस परिसंपत्तियों की बुनियादी ढांचा गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए बेहतर सेवा वितरण, और बेहतर रखरखाव और परिसंपत्तियों का उपयोग ❖ परिसंपत्तियों के उपयोग और रखरखाव पर परिवारों के साथ बेहतर संचार
घर और समुदाय	परिवार और समुदाय	❖ सामूहिक समूह के रूप में ODF प्लस गतिविधियों में बेहतर जुड़ाव ❖ घरेलू और सामुदायिक स्तर पर ODF प्लस प्रथाओं को अपनाना ❖ ODF स्थिति और समग्र स्वच्छता बनाए रखने के लिए ODF और ODF प्लस से संबंधित मानदंड स्थापित करना

स्वच्छाग्रहियों की भूमिका

गहन व्यवहार परिवर्तन संचार पर SBM (G) चरण II का विशेष बल, स्वच्छता के जमीनी कार्यकर्ता, स्वच्छाग्रहियों की भूमिका से निकटता से जुड़ा हुआ है। स्वच्छाग्रहियों ने ODF का दर्जा हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और इसे बनाए रखने और ODF प्लस गतिविधियों और व्यवहारों को प्रभावित करने के लिए इसे जारी रखेंगे।

कार्यक्रम के क्रियान्वयन में स्वच्छाग्रहियों के महत्व को ध्यान में रखते हुए, DDWS ने SBM (G) चरण II की योजना, क्रियान्वयन और निगरानी में स्वच्छाग्रहियों की नियुक्ति के लिए विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं। यह दिशानिर्देश स्वच्छाग्रहियों के लिए विशिष्ट गतिविधि-वार प्रोत्साहन संरचना का भी सुझाव देते हैं।

ODF प्लस के लिए स्वच्छाग्रहियों की भूमिका
समुदायों को संगठित करना और सशक्त बनाना (अग्रिम पंक्ति का मानव बल और जमीनी कार्यकर्ता)
शौचालय निर्माण, उपयोग और रखरखाव की सुविधा
परिसंपत्तियों की आवश्यकतानुसार रेट्रोफिटिंग और सुधार (IHHL के साथ-साथ SLWM के लिए)
प्रमुख ODF प्लस प्रथाओं के लिए निरंतर व्यवहार परिवर्तन की सुविधा
सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता को बढ़ावा देना जिसमें घर और गाँव में साफ-सफाई दिखाई दे
ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन (SLWM) गतिविधियों के क्रियान्वयन में सहायता – घरों और ग्राम पंचायत स्तर दोनों पर
क्षमता संवर्द्धन में भाग लें: ODF प्लस प्रशिक्षण/उन्मुखीकरण/IVRS-आधारित शिक्षा के साथ-साथ समुदाय को शिक्षा प्रदान करना
SBM II दिशानिर्देशों और/या राज्य दिशानिर्देशों के अनुलग्नक VII में उल्लिखित प्रोत्साहन संरचना के अनुसार SBM II पहलों के क्रियान्वयन में सहायता

अनुलग्नक VII (SBM II दिशानिर्देश)
सभी पात्र परिवारों के लिए स्वच्छता कवरेज की सुविधा (विषम परिस्थितियों को दूर करना; सुरक्षित तकनीक का उपयोग करके शौचालयों का निर्माण करने के लिए नए घर; भूमिहीन/प्रवासी आबादी की CSC तक पहुंच)
अपात्र नए परिवारों को प्रेरित कर शौचालयों के स्व-निर्माण की सुविधा देना
ODF प्लस व्यवहारों पर सामुदायिक जागरूकता बढ़ाना: ❖ निरंतर हर समय शौचालय का उपयोग ❖ शौचालयों को साफ रखना ❖ बच्चों के मल का सुरक्षित निपटान ❖ टैंकों की समय पर सफाई (यदि लागू हो तो सेप्टिक टैंक) ❖ ठोस और तरल कचरे का पृथक्करण और सुरक्षित निपटान ❖ मौजूदा SLWM परिसंपत्तियों का पुनः उपयोग/पुनः द्धार ❖ SLWM परिसंपत्तियों का नियमित संचालन तथा रखरखाव (परिवार और/या समुदाय)
सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता व्यवहार पर सामुदायिक जागरूकता बढ़ाना: ❖ साबुन और पानी से नियमित रूप से और ठीक समय पर भी हाथ धोना ❖ पीने के पानी का सुरक्षित भंडारण ❖ खांसने/छींकने में स्वच्छता का ध्यान रखना ❖ सामाजिक दूरी बनाए रखना

(Continued)

(Continued)

यह सुनिश्चित करना कि SBM चरण II दिशानिर्देशों के अनुसार CSC का निर्माण किया गया है (अनुशंसित स्थलों पर CSC का स्थान, अनुमोदित डिजाइन के अनुसार, उपयुक्त ब्रांडिंग)
यह सुनिश्चित करना कि CSC के लिए संचालन तथा रखरखाव व्यवस्थाएं लागू हैं
गांवों/ग्राम पंचायतों (IHHL, CSC, SLWM परिसंपत्तियों सहित) में SBM चरण II के तहत सृजित सभी परिसंपत्तियों की जियोटैगिंग करना। जियोटैग की गई परिसंपत्तियों का डेटा मोबाइल एप के जरिए IMIS पर अपलोड किया जाएगा
ODF प्लस के प्रति प्रतिबद्धता और समुदायों की जागरूकता सुनिश्चित करने के लिए ODF प्लस स्थिति (स्थिरता सत्यापन सहित) के सत्यापन में गांवों की भागीदारी
परिवारों के निष्क्रिय शौचालयों को IPC के माध्यम से कार्यात्मक शौचालयों में बदलना सुनिश्चित करना
IPC के माध्यम से सुरक्षित तकनीक के अनुसार पहले से निर्मित शौचालयों की रेट्रोफिटिंग सुनिश्चित करना
गांव में SLWM गतिविधियों को सुनिश्चित करना और इस प्रकार सृजित परिसम्पत्तियों का उपयोग और संचालन तथा रखरखाव पर जन जागरूकता पैदा करना (नाली, सोख्ता गड्ढा, कम्पोस्ट पिट, बायो गैस संयंत्र अपशिष्ट स्थिरीकरण तालाब, आदि)
गांव में स्वच्छता दिखाई देने के लिए गतिविधियों को सुनिश्चित करना (नालियों, बायोगैस संयंत्रों का रखरखावय जलाशयों और सार्वजनिक स्थानों की सफाई निगरानी समिति द्वारा निगरानीय स्वच्छता पर ग्राम सभाओं का आयोजन, आदि)
ग्राम सभा में 'ODF प्लस' प्रस्ताव पारित करने सहित, गांव को ODF प्लस (SBM चरण II दिशानिर्देशों के अनुसार) घोषित करने की दिशा में गतिविधियों को सुविधाजनक बनाना

अध्याय 7

IEC की निगरानी और मूल्यांकन

परिचय

गतिविधियों के प्रदर्शन और समग्र कार्यक्रम पर नियमित सूचना प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए संचार गतिविधियों की निगरानी और मूल्यांकन के लिए एक प्रणाली महत्वपूर्ण हो जाती है, जो IEC रणनीतियों में कमी और आवश्यक संशोधनों का आकलन करने में सहायता करती है।

IEC रणनीतियों में किसी भी कमी को प्रभावी ढंग से पहचानने और नई यात्रा को विकसित करने के लिए, मांग निर्माण और मांग पक्ष निगरानी संकेतकों पर पूरा ध्यान देना आवश्यक है। ये संकेतक यह निर्धारित करने के लिए मापने योग्य जानकारी प्रदान करते हैं कि समुदायों के बीच IEC क्रियान्वयन योजना के अनुसार हो रहा है या नहीं। इस तरह के संकेतकों में ज्ञान, आवश्यकताएं, घरों और समुदायों की अपेक्षाएं, सामुदायिक भागीदारी, पहुंच और जुड़ाव की गुणवत्ता, साथ ही स्वच्छता और स्वच्छता से संबंधित प्रमुख व्यवहारों से संबंधित प्रचलित दृष्टिकोण और सामाजिक मानदंड शामिल हैं।

IEC क्रियान्वयन की निगरानी विभिन्न स्तरों पर की जा सकती है: समर्थन और व्यवहार परिवर्तन कार्यों की गुणवत्ता और प्रभाव की व्यापक समझ हासिल करने के लिए परिणाम संकेतक, निर्गत संकेतक और प्रक्रिया संकेतक।

परिणाम मानक

परिणाम मानकों का उपयोग उनके घोषित उद्देश्यों को पूरा करने में IEC योजनाओं की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए किया जाता है। परिणाम मानकों को शुरू से ही व्यवहारिक परिणामों, नीति परिवर्तन या निर्दिष्ट सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन द्वारा परिभाषित किया जा सकता है।

निर्गत मानक

निर्गत मानक संचार कार्यों के शुरुआती परिणामों को संदर्भित करते हैं। ये मानक कार्यों के मध्यवर्ती परिणामों की समझ प्रदान करते हैं, और व्यवहार परिवर्तन की भविष्यवाणियों के रूप में उपयोग किए जा सकते हैं।

प्रक्रिया मानक

प्रक्रिया मानक मूल्यांकन करते हैं कि समर्थन और संचार योजनाओं को कितनी अच्छी तरह क्रियान्वित किया गया है, और संचार का एक विचार प्रदान करते हैं और निर्धारित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए वकालत गतिविधियों को समायोजित किया जा सकता है। प्रक्रिया मूल्यांकन मानक यह आकलन करते हैं कि क्या इनपुट और संसाधन आवंटित किए गए हैं या जुटाए गए हैं, और क्या गतिविधियों को योजना के अनुसार लागू किया जा रहा है।

जैसा कि SBM (G) चरण II के तहत कहा गया है, IEC गतिविधियों के क्रियान्वयन के लिए परिणाम मानक ODF प्लस हस्तक्षेप के समग्र उद्देश्यों के समान हैं। SBM (G) चरण II के परिणाम संकेतक हैं: 100% परिवारों के बीच ODF स्थिरता प्राप्त करना; 80% परिवारों के बीच प्रभावी ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन; और सभी सार्वजनिक स्थानों और 80% घरों में दिखाई देने वाली स्वच्छता में सुधार हुआ। IEC, समर्थन और क्षमता संवर्द्धन सहित सभी कार्यक्रम संबंधी आदानों के प्रभावी एकीकरण के परिणामस्वरूप परिणाम मानक प्राप्त किए जाते हैं।

गतिविधियों की व्याख्यात्मक सूची	निर्गत और प्रक्रिया संकेतक
राज्य	
राज्य संचार रणनीति	❖ राज्य संचार रणनीति की उपलब्धता
IEC और क्षमता संवर्द्धन के लिए मानव संसाधन	❖ विभिन्न स्तरों पर IEC के लिए समर्पित मानव संसाधन की उपलब्धता/उनका एकीकरण
राज्य कार्य योजना में एकीकृत की गई IEC योजना	❖ राज्य संचार लागत योजना की उपलब्धता
IEC फंड का उपयोग	❖ IEC निधि का उपयोग (%)
राज्य विशिष्ट संचार पैकेज	❖ राज्य विशिष्ट संचार पैकेज का विकास और प्रसार
ODF प्लस मुद्दों पर संवेदनशीलता	❖ समर्थन सामग्री का विकास और वितरण (संख्या) ❖ आमुखीकरण और प्रशिक्षण सत्र आयोजित (संख्या)
ODF प्लस को लागू करने के लिए IEC/PRA संदर्भ व्यक्तियों/विशेषज्ञों का समूह	❖ ODF प्लस प्राथमिकताओं पर कार्यरत और उन्मुख सन्दर्भ व्यक्ति/विशेषज्ञ (संख्या)
अन्य विभागों में ODF प्लस मैसेजिंग का एकीकरण	❖ संमिलन दृष्टिकोण पर विकसित IEC उत्पाद/संदेश (संख्या)
जिला	
जिला संचार योजना	❖ जिला संचार लागत योजना का विकास
प्रखण्ड/ग्राम पंचायत को IEC निधि जारी	❖ IEC निधि का उपयोग (%)
जिला विशिष्ट स्थानीयकृत संचार पैकेज विकसित/प्रसारित	❖ जिला विशिष्ट संचार पैकेज का विकास/प्रसार
कार्यरत और कुशल स्वच्छाग्रही	❖ सामुदायिक स्तर पर IPC और निगरानी (संख्या) के लिए स्वच्छाग्रहियों की नियुक्ति ❖ ODF प्लस (संख्या) पर स्वच्छाग्रहियों का प्रशिक्षण
ग्राम पंचायत	
ग्राम पंचायत और क्षेत्र के पदाधिकारियों का प्रशिक्षण/आमुखीकरण	❖ PRI सदस्यों का आमुखीकरण (संख्या) ❖ क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण (संख्या)
ODF प्लस संदेश के साथ ग्राम सभा का आयोजन	❖ ODF प्लस मैसेजिंग के साथ आयोजित ग्राम सभा (संख्या) ❖ ODF प्लस एजेंडा पर आयोजित ग्राम सभा (संख्या)
ODF प्लस से संबंधित मुद्दों पर सामुदायिक संग्रहण गतिविधियां	❖ ODF प्लस पर ग्राम स्तर पर सामुदायिक संग्रहण गतिविधियों का आयोजन (संख्या, प्रकार) ❖ प्रमुख ODF प्लस मुद्दों से संबंधित सामुदायिक संग्रहण गतिविधियों का आयोजन (संख्या, प्रकार)
ODF प्लस से संबंधित मैसेजिंग	❖ ODF प्लस से होने वाली आय को ग्राम पंचायत रिकॉर्ड/रजिस्टर में दर्ज करना ❖ होर्डिंग्स, भित्ति चित्रों की संख्या ❖ प्रदर्शनों की संख्या (लोक मीडिया, थिएटर समूह) ❖ स्क्रीनिंग की संख्या (वीडियो संदेश)

ODF प्लस मानकों की निगरानी और सुझावात्मक प्रक्रिया

जैसे-जैसे तकनीक विकसित हो रही है, कार्यक्रम की प्रगति की निगरानी के लिए नवीन तंत्रों का पता लगाया जा सकता है। ODF प्लस IEC योजना क्रियान्वयन के हिस्से के रूप में अनुसूचित कार्यक्रमों/गतिविधियों की निगरानी के लिए एक सामुदायिक स्तर का निगरानी उपकरण विकसित किया जा सकता है। सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन को दो घटकों में विकसित किया जा सकता है – क) जमीनी स्तर की गतिविधियों/डेटा को पकड़ने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन और बी) संपूर्ण डेटा दिखाने वाला एक डैशबोर्ड।

सॉफ्टवेयर/एप्लीकेशन को फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं, विशेष रूप से स्वच्छाग्रहियों के फोन पर स्थापित किया जा सकता है, जो क्रियान्वित गतिविधियों पर वास्तविक समय की जानकारी प्राप्त करेंगे।

फ्रंटलाइन कार्यकर्ता भी की गई प्रगति की एक तस्वीर ले सकता है और वास्तविक समय में इसके स्थान और तारीख को कैप्चर कर सकता है और एक सूची से गतिविधि का चयन कर सकता है या फिर गतिविधि का नाम दर्ज कर सकता है, जिसे डेटा सेंटर को भेजा जाएगा। ऐप नियोजित समुदाय-आधारित कार्यक्रमों के रिमाइंडर भी भेज सकता है ताकि पंजीकृत सभी सामुदायिक कार्यकर्ता अपनी जिम्मेदारियों के बारे में सूचित रहें।

एकत्र की गई यह जानकारी आदर्श रूप से विश्लेषण और उपयोग के लिए केंद्रीय डैशबोर्ड में फीड हो सकती है, उदाहरण के लिए, गतिविधियों के कवरेज और अनुपालन को समझने के लिए, आदि। कार्यक्रम प्रबंधक घटनाओं के क्रियान्वयन को मैप, ग्राफ और देखकर सत्यापित कर सकते हैं और योजना के उद्देश्यों के लिए डेटा का उपयोग कर सकते हैं। इस जानकारी के आधार पर राज्य और जिला स्तर पर IEC गतिविधियों की निगरानी के लिए एक जाँच सूची विकसित की जा सकती है। दो राज्यों के कार्य जिनके नवाचारों को IEC गतिविधियों की निगरानी के लिए अनुकूलित किया जा सकता है, का उल्लेख यहां किया गया है।

Swachh MP App Screenshot

मध्य प्रदेश में स्वच्छाग्रहियों के लिए मोबाइल एप्लीकेशन

मध्य प्रदेश ने स्वच्छाग्रहियों की IEC डिलीवरी की दक्षता में सुधार करने और IHHL तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करके, ODF स्थिति की विश्वसनीयता बनाए रखने और एक सतत सामुदायिक कार्रवाई के लिए ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहित करके SBM के पहले चरण के लाभ को बनाए रखने के लिए स्वच्छाग्रहियों के लिए एक मोबाइल एप्लिकेशन स्वच्छ MP-ODF प्लस बनाया है।

प्रत्येक गांव में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए 27,000 प्रशिक्षित स्वच्छाग्रहियों का एक समुच्चय कार्य कर रहा है जो कि मुख्य रूप से IEC गतिविधियों पर काम कर रहा है।

स्वच्छाग्रहियों द्वारा संचालित गतिविधियों का विवरण मोबाइल एप्लिकेशन पर अपलोड किया गया था और इसकी प्रगति को वास्तविक समय में राज्य स्वच्छ MP पोर्टल के माध्यम से ट्रैक किया जाता है। सेवा वितरण में पहचानी गई कमियों या सेवाओं की गुणवत्ता पर कैप्चर की गई जानकारी जैसे उत्पन्न साक्ष्य नीति निर्माताओं द्वारा सुविज्ञ निर्णय लेने में सहायता करते हैं। यह डेटाबेस साक्ष्य और आवश्यकता-आधारित संचार योजनाओं को उत्पन्न करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध इस एप्लिकेशन का उपयोग IEC सामग्री और वीडियो को प्रसारित करने के लिए भी किया जाता है ताकि स्वच्छाग्रहियों को उनके संचार कौशल को बढ़ाने और रणनीतिक रूप से IEC को आयोजित करने में सहायता मिल सके।

तमिलनाडु में IEC की निगरानी के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना

ODF/ODF प्लस गतिविधियों पर प्रशिक्षित लगभग **13,000 स्वच्छाग्रही**, IPC गतिविधियों में लगे हुए हैं। इस आवश्यकता को स्वीकार करते हुए, तमिलनाडु ने एक मोबाइल एप्लिकेशन 'थूईमई थमिजगम' (Thooimai Thamizhagam) बनाया हैः

- **स्वच्छाग्रही को प्रदान करना** व्यवहार परिवर्तन संचार (BCC) में अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए एक मंच
- **प्रभावी ढंग से कैप्चर और ट्रैक** वास्तविक समय के आधार पर स्वच्छाग्रहियों की ODF प्लस गतिविधियां
- **स्वच्छाग्रहियों को प्रोत्साहन राशि जारी करने को व्यवस्थित करना** रीयल-टाइम ट्रैकिंग सिस्टम से जुड़ी ODF प्लस गतिविधियों पर आधारित
- **जिलों और ब्लॉकों के प्रदर्शन का आकलन** स्वच्छाग्रहियों की नियुक्ति के संबंध में
- **खराब प्रदर्शन करने वाले जिलों और ब्लॉकों की पहचान करना** ताकि ODF प्लस का दर्जा प्राप्त करने के वांछित परिणाम प्राप्त किए जा सकें

राज्य ग्रामीण विकास संस्थान (SIRD) ने इस एप्लीकेशन के उपयोग पर 125 मास्टर प्रशिक्षकों और 31 कंप्यूटर ऑपरेटरों को प्रशिक्षित किया, जिन्होंने आगे 11,500 स्वच्छाग्रहियों को प्रशिक्षण दिया और उन्हें ऐप पर पंजीकरण करने में सहायता की। मोबाइल ऐप के माध्यम से प्राप्त किए गए डेटा (IEC - संदेशों का प्रसार, IHHL के सतत उपयोग, रेट्रोफिटिंग संरचनाओं, अपशिष्ट प्रबंधन, आदि) के साथ-साथ इसका वास्तविक समय भौगोलिक स्थिति, तिथि और समय भी नोट किया जाता है, जिसके आधार पर दैनिक और ODF-S और IEC गतिविधियों की प्रामाणिकता का विश्लेषण करने वाली मासिक प्रगति रिपोर्ट बनाई जाती है। स्वच्छाग्रहियों को प्रत्येक सफलतापूर्वक पूरी की गई गतिविधि के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। क्षमता संवर्द्धन और निगरानी के अलावा यह मंच कैडर को बेहतर प्रदर्शन और मान्यता के लिए भी प्रेरित करता है।

अध्याय 8

सूचना, शिक्षा और संचार गतिविधियों की योजना और मार्गदर्शन

परिचय

सामुदायिक विश्वसनीयता और स्थिर ODF प्लस परिणाम प्राप्त करने के लिए IEC योजना महत्वपूर्ण होती है। इस योजना की प्रक्रिया राज्य, जिला और ग्राम पंचायत स्तरों पर ODF प्लस एजेंडा के लिए संस्थागत स्वामित्व की भावना बनाने में भी मदद करती है। जब एक राज्य/जिला की सुस्पष्ट योजना बनती है, तो यह स्वच्छता की आपूर्ति और मांग पहलुओं का समर्थन करती है। अधिकांश प्रशासन अक्सर जिस वास्तविक चुनौती का सामना करते हैं, वह मांग और व्यवहार परिवर्तन घटक है। अक्सर IEC के लिए कोई व्यवस्थित और संरचित योजना नहीं होती है। इसका राज्यों/जिलों को आवंटित IEC बजट के उपयोग पर भी प्रभाव पड़ता है।

जैसा कि पिछले अध्यायों में बताया जा चुका है, IEC योजना के लिए कई घटक है। वांछित व्यवहारों को स्वीकारने में प्रमुख बाधाओं और सीमाओं की पहचान करना, विभिन्न घटक, जो कि प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक प्रतिभागी और हितधारक हैं, उन्हें किस हद तक जुटाया जा सकता है और कार्यक्रम में शामिल होने के सबसे प्रभावी तरीके क्या होंगे। परिवर्तन कारकों की नियुक्ति और उनकी पहचान करना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।

IEC गतिविधियों की योजना के प्रमुख घटक

- **संस्थागत संरचना और कार्य:** राज्य, जिला, ब्लॉक और ग्राम स्तर पर संचार कार्य में शामिल वर्तमान संस्थानों और उनकी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों की पहचान करें।
- **संदेश, माध्यम और संचारक:** प्रमुख व्यवहारों की पहचान; इन प्रमुख व्यवहारों के लिए उपयोग किए जाने वाले संदेश; संबोधित किये जाने वाले हितधारक समूह; माध्यम जिनके द्वारा इन संदेशों को पहुंचाया जाएगा और इन संदेशों के संप्रेषण को प्रभावित करने वाले कारक।
- **चैनल मिक्स (Channel mix):** IEC योजनाओं को विकसित करते समय, एक उपयुक्त चैनल मिक्स (Channel mix) को नियोजित करना महत्वपूर्ण है और यह प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विभिन्न घटकों की जटिलता, मीडिया की आदतों और दर्शकों की प्राथमिकताओं और परिचालन व्यवहार्यता पर आधारित होना चाहिए। IPC कई मामलों में सर्वाधिक उपयुक्त है और व्यवहार परिवर्तन में अनवरत परिणाम प्रदान करता है। साथ ही डिजिटल तकनीक से जुड़े नए मीडिया रचनात्मक प्रस्तुति विकल्पों के विस्तार में सहायता करते हैं और हितधारकों के बड़े समूहों के साथ अभिनव पहुंच और जुड़ाव के लिए गुंजाइश प्रदान करते हैं।
- **क्षमता संवर्द्धन:** जिला IEC की योजना बनाने और उसे लागू करने के लिए मौजूदा क्षमताओं और वैसे क्षेत्र में जहां क्षमताओं को मजबूत करने की आवश्यकता है उनका आकलन करना।
- **जाँचना और परखना:** यह सुनिश्चित करने की प्रक्रिया कि संचार गतिविधियों को नियोजित रूप में क्रियान्वित किया जाता है और उन लोगों की पहचान की जाती जो अपनी भूमिकाओं की जिम्मेदारियों के साथ गतिविधियों की निगरानी करेंगे।
- **बजटीय पहलू:** दिशा-निर्देशों के अनुसार वित्तपोषण के तौर-तरीकों और निधि प्रबंधन की पहचान करना।

IEC योजना और संचालन के लिए टेम्पलेट्स

IEC परिचालन योजनाओं के विकास का समर्थन करने के लिए टेम्पलेट्स का एक सेट विकसित किया गया है। कृपया अनुलग्नक देखें।

अनुलग्नक 1

IEC योजना और परिचालन टेम्पलेट्स

राज्य, जिला और उप-जिला स्तरों पर IEC गतिविधियों की योजना और संचालन का समर्थन करने के लिए निम्नलिखित टेम्पलेट तैयार किए गए हैं। जब टेम्पलेट भरकर समेकित किए जाते हैं, तो बजट के अन्दर एक व्यापक IEC योजना विकसित करने के लिए चरणबद्ध प्रक्रिया प्रदान करते हैं। यह प्रक्रिया प्रत्येक राज्य के लिए AIP टेम्पलेट विकसित करेगी।

यह समझने के लिए कि इन टेम्पलेट्स का उपयोग कैसे किया जाए, यह सुझाव दिया जाता है कि प्रतिभागियों को यह समझने के लिए एक संक्षिप्त अवलोकन मिलता है कि व्यक्तिगत व्यवहार परिवर्तन अलग-अलग घटकों से नहीं होता है और किसी व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करने वाले विभिन्न आयाम होते हैं जैसे, पारस्परिक कारक, सामाजिक-सांस्कृतिक और नीतिगत वातावरण।

1. शौचालयों के सतत उपयोग के लिए अवरोध एवं संबल और ODF प्लस व्यवहार

जिला IEC/BCC (SBCC) योजना विकसित करने की दिशा में यह पहला कदम है।

निम्नलिखित टेम्पलेट को चार कॉलमों में बांटा गया है –

- **वांछित व्यवहारः** कौन से सकारात्मक व्यवहार अपनाए जाने चाहिए – प्रमुख/फोकस व्यवहारों की एक सूची पहले विकसित की जानी चाहिए (प्रत्येक ODF प्लस घटक के लिए पहचाने गए प्रमुख व्यवहार देखें)?
- **वास्तविक अभ्यासः** वास्तव में समुदायों/परिवारों में क्या होता है?
- **अवरोधकः** वांछित व्यवहारों को अपनाने के रास्ते में आने वाले कारक या बाधाएं क्या हैं?
- **संबलः** इन बाधाओं को तोड़ने के लिए क्या किया जाना चाहिए/या इन बाधाओं के समाधान क्या हैं जो व्यक्ति/समुदाय को वांछित व्यवहार अपनाने में सक्षम बनाएंगे?

वांछित व्यवहार	वास्तविक अभ्यास	वांछित व्यवहारों को अपनाने में अवरोधक	वांछित व्यवहारों को अपनाने के संबल

अगले कदम में तीन समूहों में पहचान किये गए अवरोधकों का चयन करना होगा – व्यक्तिगत, समुदायिक, संस्थागत।

2. संदेश और माध्यम

नीचे दिया गया टेम्प्लेट प्रमुख संदेशों के विकास और उन चैनलों की पहचान को संदर्भित करता है जिनके माध्यम से उन्हें संप्रेषित किया जाएगा। प्रतिभागियों को प्रमुख संचार दृष्टिकोणों और चौनलों पर पूर्व-उन्मुख होना चाहिए।

टेम्पलेट में पाँच कॉलम हैं –

- **वांछित व्यवहार** – जैसा कि पहले मैट्रिक्स के माध्यम से पहचाना गया था
- **वांछित व्यवहार में आने वाले अवरोधकों को दूर करने के लिए मुख्य संदेश** – संदेशों को इस तरह से विकसित किया जाना चाहिए कि वे प्रत्येक व्यवहार के लिए पहचाने गए अवरोधों के बारे में हों
- **दर्शक/हितधारक** – वह श्रोता जिसे संदेश संबोधित किया जाता है
- **संचार चैनल** – सबसे अच्छे चौनल कौन से हैं जिनके माध्यम से पहचान किए गए दर्शकों/हितधारकों तक संदेश प्रभावी ढंग से पहुंचाया जा सकता है?
- **संचार सामग्री** – संदेश देने के लिए किन सामग्रियों की आवश्यकता होगी?

वांछित व्यवहार	वांछित व्यवहार में आने वाले अवरोधकों को दूर करने के लिए मुख्य संदेश	दर्शक/हितधारक	संचार चैनल	संचार सामग्री/ उपकरण

3. हितधारक प्रतिचित्रण (Stakeholder Mapping)

यह अभ्यास प्रमुख हितधारकों – समूहों और व्यक्तियों की पहचान और उनका प्रतिचित्रण करेगा, जो सकारात्मक परिवर्तन को समर्थन और उसे प्रभावित कर सकते हैं

मैट्रिक्स के माध्यम से की गई हितधारक प्रतिचित्रण से निम्न को समझने में सहायता मिलती है:

- इच्छित व्यवहार परिवर्तन के संचार कार्य में किसके हित मायने रखते हैं?
- इच्छित परिवर्तन का समर्थन या विरोध कौन कर सकता है?
- इच्छित परिवर्तन पर उनमें से प्रत्येक का किस स्तर का प्रभाव है?

नीचे दिए गए टेम्प्लेट में पांच कॉलम हैं –

- **हितधारक और प्रभाव और शक्ति का स्तर** – हितधारक प्रतिचित्रण अभ्यास के आधार पर प्रतिचित्रण करना और प्राथमिकता देना
- **भूमिका और स्तर** – कार्यक्रम में योगदान करने के लिए हितधारक क्या करेगा और किस स्तर पर (गांव/GP/ब्लॉक/जिला/राज्य – इसे संचार लेंस के माध्यम से पहचाना जाना है)?
- **संचार दृष्टिकोण** – वांछित परिवर्तन को प्रभावित करने और उसे पूरा करने के लिए हितधारक क्या दृष्टिकोण अपनाएगा?

हितधारक	शक्ति या प्रभाव का स्तर (सकारात्मक एवं नकारात्मक + उच्च/मध्यम/निम्न)	संचार कार्यों को करने में वे क्या भूमिका निभा सकते हैं	स्तर (राज्य/जिला/ब्लॉक/गांव)	हितधारक/प्रभावशाली व्यक्ति द्वारा उपयोग किए जाने वाले संचार दृष्टिकोण
पंचायती राज संस्थाएं	सकारात्मक प्रभाव से अधिक प्रेरणा मिलती है (माना गया)	SLWM के लाभों के बारे में जानकारी प्रदान करना सकारात्मक SLWM अभ्यास करने के लिए परिवारों और समुदाय को प्रेरित करना इस तरह के बुनियादी ढांचे के संवर्द्धन की जानकारी और समर्थन प्रदान करना FLW की IEC गतिविधियों की निगरानी करना	ग्राम पंचायत /गांव	सामाजिक और सामुदायिक जुड़ाव पारस्परिक संचार (IPC)
युवा समूह	सकारात्मक प्रभाव से उच्च प्रेरणा	SLWM की प्रमुख प्रथाओं पर जागरूकता बढ़ाना	जिला	सामाजिक जुड़ाव मध्य-मीडिया/IEC (पोस्टर, बैनर, पत्रक) सोशल मीडिया
एकसाथ लाये गये हितधारकों में शामिल हो सकते हैं: सामुदायिक प्रेरक/स्वच्छाग्रही/जलदूत, युवा स्वयंसेवक (नेहरू युवा केंद्र (NYK), राष्ट्रीय कैडेट कोर (NCC), राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS), स्काउट और गाइड आदि के सदस्यों सहित), PRI प्रतिनिधि और संस्थागत आंगनवाड़ी कर्मचारी, आशा कार्यकर्ता, शिक्षक और अन्य कर्मचारी या सरकारी कार्यक्रमों और विभागों के स्वयंसेवक तथा कर्मचारी।				

4. IEC/BCC क्षमता संवर्द्धन योजना

नीचे दिया गया विस्तृत टेम्प्लेट प्रत्येक कॉलम को स्पष्ट रूप से समझाता है। संचार योजना को चलाने के लिए पहचाने गये सभी प्रमुख हितधारकों को प्रशिक्षण योजना का हिस्सा बनने की आवश्यकता है।

ध्यान दें: इस टेम्पलेट का उपयोग राज्य/जिला/GP स्तर के प्रशिक्षण के लिये भी किया जा सकता है। अंततः अंतिम क्षमता संवर्द्धन योजना के रूप में तीन तालिकाओं का मिलान किया जा सकता है।

हितधारक (सूचीबद्ध प्राथमिकता वाले हितधारकों की सूची – क्रियान्वयन में संमिलन के लिए 'भविष्य की पूंजी' (युवा) और अन्य विभाग के हितधारकों को शामिल करना)	गतिविधि जिसमें हितधारक शामिल होगा	हितधारक के साथ प्रस्तावित प्रशिक्षण कार्य (सीएएस और अन्य प्रशिक्षण शामिल करें)	हितधारक की वर्तमान क्षमता (तकनीकी वॉश और संचार कौशल में)	प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए उपलब्ध संस्थान	प्रशिक्षण का स्तर और स्थल (राज्य/जिला/GP)	नियोजित प्रशिक्षणों की संख्या	समय	प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या	बजट (हितधारक के लिए राशि शामिल करना * प्रवृत्त दिनों की संख्या + रसीद के लिए अन्य लागत, टीए/डीए, संसाधन, आदि)
सामुदायिक प्रेरक/स्वच्छाग्रही	सामाजिक और सामुदायिक लामबंदी IPC	प्रशिक्षण (प्रेरक प्रशिक्षण)	प्रमुख तकनीकी जानकारी अच्छी तरह से पता नहीं है IPC में पर्याप्त कुशल नहीं है	X	राज्य/जिला	X	नवंबर 17–जनवरी 18	X	X

5. IEC/BCC गतिविधि योजना

टेम्प्लेट स्व-व्याख्यात्मक है और योजना के सभी प्रमुख तत्वों को लेगा

हितधारक का क्रियान्वयन	गतिविधि के प्रकार	दर्शक/ जनसंख्या	नियोजित गतिविधियां (नीचे दी गई सूची में सुझाव देखें)	इकाई	नियोजित संख्या	हितधारक के लिए आवश्यक समर्थन सामग्री/उपकरण			जनशक्ति लागत (एचआर आदि को ख	अन्य लागतें (रसद, संचार, टीए/डीए, संसाधन व्यक्ति) ग	समयसीमा	कुल बजट क+ख+ग
						मद	सं	लागत क				
समुदाय प्रेरक	सामाजिक और सामुदायिक जुड़ाव	समुदाय के सदस्य		गांवों की संख्या	X	फ्लिप चार्ट	X	X	X	X	X	X
संमिलित हितधारकों को शामिल करें			अन्य विभागों के साथ गतिविधियां									

6. निगरानी और रिपोर्टिंग मैट्रिक्स

टेम्प्लेट स्व-व्याख्यात्मक हैं और IEC / BCC की निगरानी और क्षमता संवर्द्धन गतिविधियों और प्रगति की रिपोर्ट करने वाले प्रमुख तत्वों को लेगा।

हितधारक क्रियान्वयन (प्रशिक्षण और IEC / BCC गतिविधियों में शामिल सभी की सूची)	सभी नियोजित IEC / BCC और क्षमता संवर्द्धन गतिविधि सूची	भौतिक पूर्णता			वित्तीय जानकारी देना		जिम्मेदार व्यक्ति / कार्यकर्ता	निर्गत के सफल समापन के लिए संकेतक	सत्यापन के साधन	जिम्मेदार व्यक्ति / पदाधिकारी द्वारा सत्यापित / पृष्ठांकित	
		इकाई	लक्ष्य	हासिल किया	नियोजित	व्यय				पूर्ण किये गये (संख्या)	लंबित (संख्या)
स्वच्छाग्रही	गांवों में सामूहिक बैठकें	गांव	x	x	x	x	ब्लॉक समन्वयक		फील्ड रिपोर्ट, स्पॉट चेक	x	x
प्रशिक्षण एजेंसी	प्रेरक प्रशिक्षण	प्रशिक्षण	x	x	x	x	x	प्रशिक्षित प्रतिभागी	प्रशिक्षण रिपोर्ट, नव प्रशिक्षित प्रेरकों द्वारा संचालित शुरुआतों की संख्या	x	x

अनुलग्नक 2

IEC के लिए रचनात्मकता

रचनात्मक संदर्भों और विचारों के लिए, यूआरएल देखें:
https://swachhbharatmission.gov.in/IECMaterial/FileManager/IECMaterialReadonly.aspx

यह लिंक आपको SBM ग्रामीण वेबसाइट पर ले जाएगी जहां सभी रचनात्मकता के लिए IEC टाइल है, जैसे कि वीडियो, वॉल पेंटिंग, आयोजन और कार्यक्रम, नारे, हस्तियों के संदेश इत्यादि।

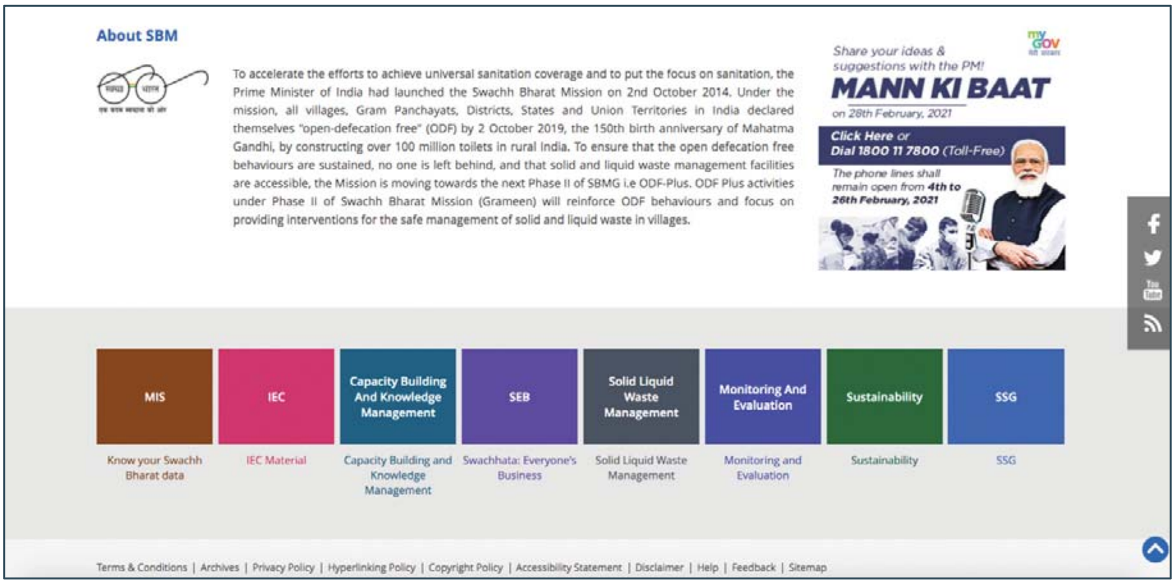

सत्यमेव जयते

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग
जल शक्ति मंत्रालय
भारत सरकार

DEPARTMENT OF DRINKING WATER AND SANITATION
MINISTRY OF JAL SHAKTI
GOVERNMENT OF INDIA

स्वच्छ भारत

एक कदम स्वच्छता की ओर